



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

वित्तीय शिक्षा पुस्तिका





भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड Securities and Exchange Board of India

दावात्याग

वित्तीय शिक्षा की दिशा में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के जो प्रयास हैं, वे जनता को सामान्य जानकारी मुहैया कराने के लिए हैं। प्रतिभूति विधि (सिक्यूरिटीज़ लॉ) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) और निदेशों की पूरी-पूरी जानकारी के लिए आप कृपया सेबी का वेबसाइट (www.sebi.gov.in) देखें।

प्रकाशक:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

सेबी भवन

प्लॉट सं. सी4ए, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-2644 9000 / 4045 9000 / 9179 / 9188

फैक्स: +91-22-2644 9027 / 4045 9027

ई-मेल: feprogram@sebi.gov.in

इस पुस्तक को सही और त्रुटिहीन बनाने के लिए यथासंभव प्रयास किए गए हैं। फिर भी, यदि इसमें कोई गलती, त्रुटि या विसंगति रह गई हो, तो उसकी जानकारी उपरोक्त पते पर दें, ताकि अगले संस्करण में उनमें सुधार किया जा सके। यह सूचित किया जाता है कि इस सामग्री के उपयोग से किसी को भी, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से होने वाले नुकसान या हानि के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।

इस पुस्तक के किसी भी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से [फिर चाहे वह ग्राफिक माध्यम से हो या मैकेनिकल माध्यम से, जिसके अंतर्गत फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, टेपिंग या सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली (इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम) भी शामिल है] प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पुनः प्रस्तुत या कॉपी करना अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी डिस्क, टेप, पॉपरेटिड मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण (इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस) आदि पर पुनः प्रस्तुत या कॉपी करना मना है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

अक्टूबर, 2020

विषय - वस्तु

क्र.	अध्याय	पृष्ठ क्र.
1	परिचय	4
2	आपकी जमापूँजी से जुड़े खास पहलू	5
3	वित्तीय योजना	9
4	बचत संबंधी उत्पाद	15
5	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश	21
6	बीमा संबंधी उत्पाद	35
7	पेंशन, सेवानिवृत्ति और धन-संपत्ति (इस्टेट) के संबंध में योजना(प्लानिंग)	37
8	उधार संबंधी उत्पाद	42
9	विभिन्न बचत और निवेश विकल्पों के लिए सरकार की योजनाएँ	45
10	कर बचाने के उपाय	49
11	पोंज़ी स्कीमों और अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान	50
12	शिकायत निवारण व्यवस्था	55
13	शिकायत का निवारण करने वाली एजेंसियाँ अध्याय	60
14	सेबी के बारे में	61
15	भारत में सेबी के कार्यालयों, एक्सचेंजों और निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के संपर्क संबंधी ब्यौरे सेबी का प्रधान कार्यालय सेबी भवन	62

अध्याय 1 - परिचय

आज के समय में वित्त संबंधी ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए, ताकि वह सही जगह अपने पैसों का निवेश कर सकें। लोगों के सामने बहुत-सी बातें होती हैं, जैसे कि उन्हें वित्त उत्पादों (फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स) की बारीकियाँ पता नहीं चलतीं, ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनके जरिए उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और पॉजी स्कीमें भी चलाई जा रही हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन जीने के लिए पैसों की आवश्यकता है, आदि। यही वजह है कि अपने पैसों (वित्त) के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है और इस आवश्यकता को आय और व्यय का उचित प्रबंधन कर पूरा किया जा सकता है।

वित्तीय शिक्षा से लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर होने में मदद मिलती है और उनकी आय, व्यय, संपत्तियों (असेट्स) और देयताओं का ठीक तरह से प्रबंधन करने की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

वित्त संबंधी योजना बनाना प्रत्येक परिवार के लिए बेहद जरूरी है। वित्त संबंधी योजना का आशय केवल बचत करना ही नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है। यह किसी उद्देश्य विशेष के लिए किया जाने वाला निवेश है। यह भविष्य में होने वाली आय में से बचत करने और उसे खर्च करने की योजना है और इस संबंध में बजट बनाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

इस पुस्तिका की मदद से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप अपने पैसों (वित्त) का बेहतर तरीके से प्रबंधन कैसे करें। इसके अंतर्गत वित्त संबंधी योजना (फाइनेंशियल प्लानिंग), वित्त संबंधी ज्ञान की मुख्य-मुख्य बातों, निवेश के भिन्न-भिन्न विकल्पों, बचत और निवेश संबंधी उत्पादों, बीमा और पेंशन उत्पादों, सेवानिवृत्ति संबंधी योजना की जानकारी दी गई है और साथ ही पॉजी स्कीमों से सावधान किया गया है, कर बचाने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं, निवेशक संरक्षण संबंधी उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है एवं निवेश करते समय क्या करें और क्या न करें इसकी जानकारी, आदि दी गई है।



यह पुस्तिका सामान्य निवेशकों के लिए है और इस मॉड्यूल को अंत तक पढ़ने के बाद, उम्मीद है कि जिन पाठकों को ध्यान में रखकर इस पुस्तिका को तैयार किया गया है, वे और बेहतर तरीके से यह समझ पाएँगे कि वे अपने पैसों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कैसे करें, और परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।

अध्याय 2 - आपकी जमापूँजी से जुड़े खास पहलू

अपने पैसों (वित्त) का प्रबंधन करते समय किसी भी व्यक्ति को उसकी जमापूँजी से जुड़े जिन खास पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :

बचत क्या है ?

खर्च करने के बाद आय का जो हिस्सा बच जाता है उसे बचत कहा जाता है ।

क. आय – वेतन, मजदूरी आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से कमाया हुआ पैसा ।

ख. व्यय – विभिन्न मदों (फिर चाहे वह जरूरी हो या गैर-जरूरी) पर किया गया खर्च ।

आम तौर पर लोग बचत से अपने अल्पावधिक (कम समय में हासिल किए जाने वाले) लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं ।

बैंक के बचत खाते (सेविंग अकाउंट) में रखे गए पैसे पर कुछ ब्याज मिलता रहता है और उसे जरूरत पड़ने पर निकालना भी आसान होता है । हम बैंक खातों और डाकघर के बचत खातों, आदि में पैसा रखकर बचत कर सकते हैं ।

निवेश क्या है: ?

निवेश का अर्थ है अपनी बचत की गई जमा पूँजी में से कुछ पैसे को वित्तीय या गैर-वित्तीय उत्पादों में इस उम्मीद से लगाना कि समय के साथ उनसे मुनाफा मिलेगा । जिन उत्पादों में पैसे लगाए जा सकते हैं वे वित्तीय उत्पाद (फाइनेंशियल प्रोडक्ट) भी हो सकते हैं और गैर-वित्तीय उत्पाद (नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट) भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए वित्तीय उत्पाद (फाइनेंशियल प्रोडक्ट) हैं - बैंक में मीयादी जमाएँ, स्टॉक बाजार में शेयर खरीदना, पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) में निवेश करना आदि और गैर-वित्तीय उत्पाद (नॉन-फाइनेंशियल प्रोडक्ट) हैं - जमीन, सोना, चाँदी आदि खरीदना । निवेश अल्पावधि (कम समय में हासिल किए जाने वाले), मध्यावधि (थोड़े अधिक समय में हासिल किए जाने वाले) या दीर्घावधि (अधिक समय में हासिल किए जाने वाले) के लिए किया जा सकता है । निवेश करते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि निवेश पर मिलने वाले मुनाफों का समय के साथ-साथ घटना-बढ़ना आम बात है ।



बचत और निवेश के बीच के अंतर नीचे सारणी में दिए गए हैं:

बैंक खातों में बचत		मीयादी जमाओं (फिक्सड डिपॉजिट्स) और अन्य वित्त उत्पादों (फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स) में निवेश
आशय	बचत किसी व्यक्ति की आय का वह भाग है जिसे खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ।	निवेश का अर्थ है - निवेश के विभिन्न उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में पैसा लगाना, ताकि जमापूँजी में इजाफा हो ।
उद्देश्य	बचत इसलिए की जाती है कि पैसा आसानी से उपलब्ध हो सके और यदि थोड़े समय के लिए जरूरत पड़े या अचानक जरूरत पड़े, तो उन जरूरतों को पूरा किया जा सके ।	निवेश इसीलिए किया जाता है, ताकि आपकी जमापूँजी बढ़ सके । इसके लिए ऐसी संपत्तियों (असेट्स) में पैसा लगाया जाता है, जिससे भविष्य में आमदनी हो सके / जिसका भविष्य में मूल्य बढ़ सके ।
जोखिम	कम या न के बराबर	कम / मध्यम / अधिक / बहुत अधिक - यह आस्तियों (असेट्स) के प्रकार पर निर्भर करता है ।
अर्थसुलभता (लिक्विडिटी)	बहुत अधिक अर्थसुलभ	तुलनात्मक रूप से कम अर्थसुलभ

बचत और निवेश का क्या महत्त्व है ?

निवेश करने से निवेश की गई रकम में इजाफा होता है। निवेश किए गए पैसों के मूल्य में समय के साथ हुआ कोई भी इजाफा, या निवेश से हुई आय / निवेश पर मिलने वाला मुनाफा (रिटर्न) आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाता है। आपको अपने जीवन में जल्द ही बचत करना और निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी आप इसकी शुरुआत करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों (जैसे मकान बनाना, बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा उपलब्ध कराना, या अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पैसे एकत्र करना, आदि) के करीब पहुँचेंगे।

आस्ति्याँ और देयताएँ क्या हैं ?

जो कुछ भी आपके पास अपना है और जिसका कुछ आर्थिक मूल्य है, वे आपकी आस्तियाँ (असेट्स) हैं तथा जो आपको किसी और को देना है या आपने जो दूसरों से उधार लिया हुआ है वो आपकी देयताएँ हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ बचत करते हैं और उसे मीयादी जमा (फिक्सड डिपॉजिट) में रखते हैं, तो वह आपकी आस्ति है। वहीं दूसरी ओर, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया हुआ है या फिर किसी बैंक से ऋण लिया है, तो वह आपकी देयता है।



ऋण क्या है ?

जब पास पड़े पैसे से अधिक पैसा खर्च करना हो, तो पैसे की कमी को पूरा करने के लिए उधार लिया जाता है, और इस प्रकार लिए जाने वाले उधार को ऋण कहा जाता है।

समय के साथ पैसे का बदलता मूल्य ?

जैसे-जैसे समय गुजरता जाएगा, आप यह महसूस करेंगे कि आज से 10 साल पहले जितने पैसे में आप भोजन की एक पूरी थाली खरीद पाते थे, आज उसी पैसे से आप पूरी थाली का थोड़ा ही हिस्सा खरीद पा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पाँच सौ रुपये के नोट का वर्तमान मूल्य उसके पाँच साल बाद के मूल्य की तुलना में अधिक है। फिर भले ही वह वही रुपया हो, किंतु यदि वह रुपया आज आपके पास है, तो आप उस रुपये से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे समय के साथ उस रुपये पर ब्याज कमाकर आप उसमें इजाफा कर सकते हैं। अगर आज आपको 500 रुपये मिल जाते हैं, तो आप उस रुपये का निवेश करके और समय के साथ उस पर ब्याज कमाकर या उसकी मूल्य-वृद्धि करके उसके भविष्य के मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं।



मोटे तौर पर पैसे का बदलता मूल्य यह दर्शाता है कि समय का अपना मूल्य होता है, अर्थात् आज आपके पास जो पैसा है भविष्य में उसका मूल्य आज के मूल्य के समान नहीं रहेगा।

महँगाई (मुद्रास्फीति) क्या है और इसका निवेश पर क्या असर पड़ता है ?

मूल रूप से महँगाई का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी से है। समय के साथ-साथ, जैसे-जैसे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बढ़ोतरी होती है, वैसे-वैसे पैसे (मानिए एक रुपये) की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, रुपये की 'क्रय शक्ति' (खरीदने की क्षमता) घटती जाती है, यानि कि आज आप एक रुपये में जो खरीद पाते हैं वे कुछ समय के बाद नहीं खरीद पाएँगे। वित्त संबंधी योजना बनाते समय यह अहम हो जाता है कि आपके निवेश पर महँगाई के असर को भी ध्यान में रखा जाए। निवेशकों को महँगाई का भय बहुत अधिक रहता है क्योंकि इससे उनके निवेश का मूल्य घट जाता है।

महँगाई मेरे निवेश संबंधी निर्णय को कैसे प्रभावित करती है?

पाँच वर्ष पहले 2/- रुपये में मिलने वाला वडा पाव आज 7/- रुपये में मिलता है। वडा पाव की कीमत में हुई वृद्धि का कारण उस वडा पाव की माँदा बढ़ा देना या उसकी गुणवत्ता को बेहतर करना नहीं है, बल्कि इसका कारण तो महँगाई है जिसकी वजह से उसे बनाने में लगने वाली सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है और जिसकी वजह से उस वडा पाव की कीमत बढ़ गई है।

महँगाई के असर से बचने के लिए निवेशक कौन-कौन से उपाय कर सकता है?

आप यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपकी "मुनाफे (रिटर्न) की वास्तविक दर" कितनी होगी या यह पता लगाने की कोशिश करें कि महँगाई के असर पर गौर करने के बाद आपको कितना मुनाफा हो सकता है। पैसे के मूल्य में हो सकने वाली गिरावट संबंधी जोखिम पर काबू पाने के लिए, आप अपने पैसे (जो भी आज आपके पास है) को महँगाई की मौजूदा दर पर या उससे अधिक दर पर निवेश कर सकते हैं।

चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग) का असर ?

साधारण ब्याज से आप केवल उस पैसे पर ब्याज कमा सकते हैं, जिसे आपने शुरू में निवेश किया था; जबकि चक्रवृद्धि ब्याज से आप शुरू में निवेश किए गए पैसे पर तो ब्याज कमाते ही हैं साथ ही साथ उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज कमाते हैं।


चलिये हम उदाहरण के साथ चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंडिंग) के असर को समझते हैं।

वर्ष	मूलधन	मुनाफे की दर	कमाया गया मुनाफा	मूलधन + मुनाफा
1	1,000	9%	90	1,090
2	1,090	9%	98	1,188
10	2,172	9%	195	2,367
20	5,142	9%	463	5,604
40	28,816	9%	2,593	31,409

उपरोक्त उदाहरण में यह दिखाया गया है कि कैसे शुरू में किया गया 1,000/- रुपये का निवेश 40 वर्षों में बढ़कर 31,409/- रुपये हो गया। जब प्राप्त मुनाफे (रिटर्न) का भी निवेश कर दिया जाता है, तो आप पहले कमाए गए मुनाफे पर भी मुनाफा कमाते हैं और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। जबकि साधारण ब्याज के मामले में, मूलधन 40 वर्षों तक 1,000/- रुपये ही रहता है और प्रत्येक वर्ष उस पर 90 रुपये ब्याज के तौर पर मिलता रहता है और इस प्रकार कुल रकम बढ़कर 4600/- रुपये ही हो पाती है।

ध्यान दें:

पहले वर्ष का मूलधन + मुनाफा मिलकर दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है, और दूसरे वर्ष का मूलधन + मुनाफा मिलकर तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है, और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है।



2. 72 का नियम:

गणितज्ञों का मानना है कि आप 72 को ब्याज की दर से भाग देकर यह जान सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में दोगुना होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपके माता-पिता ने आपको जन्मदिन पर रु. 200/- दिए और आप उस पैसे का निवेश करना चाहते हैं। यदि आप इस पैसे को किसी ऐसे खाते में रख देते हैं जिसमें प्रति वर्ष 6 प्रतिशत (6%) की दर से ब्याज मिलता हो, तो मूल राशि को दोगुना (रु. 400/-) होने में कितना समय लगेगा?

$$72 \div 6\% \text{ ब्याज} = 12 \text{ वर्ष}$$

इस प्रकार 12 वर्षों में, आपका पैसा दोगुना होकर रु. 400/- हो जाएगा।

72 को वार्षिक ब्याज दर (**R**) से भाग देकर जानें कि आपका पैसा कितने समय (**T**) में दोगुना होगा

$$72 \div R = T$$

आइए समझते हैं कैसे

$$72 \div 3 = 24$$

निवेश-लागत औसत (रूपी कॉस्ट ऐवरेजिंग):

निवेश और लागत का औसत करना (रूपी कॉस्ट ऐवरेजिंग) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आप नियमित अंतराल पर एक तयशुदा राशि का निवेश करते हैं, फिर चाहे बाजार में कितना ही उतार-चढ़ाव क्यों न हो रहा हो। उदाहरण के लिए, जब पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों की कीमत कम होती है उस समय आप अधिक यूनिटें खरीदते हैं और जब यूनिटों की कीमत ज्यादा होती है, तो आप कम यूनिटें खरीदते हैं। एक निश्चित समय-सारणी के अनुसार, निवेश करने पर आपको निवेश करने का सही समय पता लगाने की जटिल या यों कहा जाए कि एक असंभव प्रक्रिया से उलझना नहीं पड़ता। निवेश और लागत का औसत निकालने पर खरीदी गई कुल यूनिट का औसत मूल्य निकल जाता है। फलस्वरूप, आपके निवेश पर बाजार में थोड़े समय के लिए हुए उतार-चढ़ाव का असर कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, कृपया नीचे दी गई सारणी को देखें:

महीना	अदा की गई रकम	प्रति यूनिट लागत	खरीदी गई यूनिटों की संख्या (अदा की गई रकम / लागत)
जनवरी	2000	50.00	40
फरवरी	2000	41.67	48
मार्च	2000	47.62	42
अप्रैल	2000	58.82	34
मई	2000	71.42	28
जून	2000	66.67	30
जुलाई	2000	40.00	50
अगस्त	2000	47.62	42
सितम्बर	2000	45.45	44
अक्टूबर	2000	62.50	32
नवम्बर	2000	55.55	36
दिसम्बर	2000	50.00	40
कुल	रु.24,000	466	यूनिट


ऊपर दी गई सारणी को देखने से यह पता चलता है कि बारह महीनों की अवधि के दौरान किए गए कुल रु.24,000/- के निवेश से निवेशक को पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की 466 यूनिट मिली हैं। अतः प्रति यूनिट औसत मूल्य रु.51.50 बैठता है (अर्थात् रु.24,000/466 = रु.51.50/-)।

अध्याय 3 - वित्तीय योजना

क. वित्तीय योजना

वित्तीय योजना वह प्रक्रिया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों का आकलन करता है और उन जरूरतों के हिसाब से निवेश की व्यापक योजना बनाकर उसे अमल में लाता है। उदाहरण के लिए, शिशु का जन्म लेना, शिक्षा, मकान खरीदना, विवाह या किसी बीमारी जैसी आपातकालीन स्थितियों का सामना करना, किसी दुर्घटना, मृत्यु, या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, आदि का सामना करना।

ख. वित्तीय योजना बनाने की प्रक्रिया:



अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में जानें

यदि आप भविष्य के लिए योजना बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझना होगा। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी आय कितनी है, आप कितना खर्च करते हैं, आपके पास कितनी आस्तियाँ हैं / आपकी देयताएँ क्या-क्या हैं? आपकी आस्तियों में से आपकी देयताओं को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह आपकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) होती है। शुद्ध-मालियत निम्नानुसार निकाली जाती है :-

आस्तियाँ (असेट्स)		देयताएँ	
विवरण	राशि (रुपये में)	विवरण	राशि (रुपये में)
कार	25,000	आवास ऋण	20,00,000
बैंक खाते में	5,00,000	कार ऋण	10,000
पड़ी रकम			
मकान	50,00,000		
कुल आस्तियाँ	55,25,000	कुल देयताएँ	20,10,000
शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) [आस्तियाँ-देयताएँ]	35,15,000/- (55,25,000-20,10,000)		

आपकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) को देखकर आपके वित्तीय लक्ष्यों (जैसे मकान खरीदना, विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु खर्च करना, भविष्य में दवा आदि पर खर्च करना, ऋण चुकाना, आदि) को हासिल करने की आपकी क्षमता का पता चलता है ।

वित्तीय लक्ष्य

आपके वित्तीय लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आस्तियाँ तैयार करना, आपातकालीन स्थितियों के लिए बचत करना और भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए निवेश करना । किसी व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- क. बुनियादी वित्तीय लक्ष्य (भोजन, कपड़ा, आश्रय आदि)
- ख. द्वितीय श्रेणी या उच्च श्रेणी के लक्ष्य (शिक्षा, मकान, विवाह, आदि)
- ग. सेवानिवृत्ति के लिए योजना
- घ. संपदा संबंधी योजना



आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अलग-अलग जगह निवेश कर सकते हैं और साथ ही जोखिम प्रबंधन तथा ज्यादा से ज्यादा कर बचाने पर ध्यान दे सकते हैं । ये लक्ष्य आपके जीवनकाल में बदलते रहते हैं, और तदनुसार बदलती परिस्थितियों के मद्देनज़र वित्तीय योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव आदि करने के लिए इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ।

सलाह : वित्तीय योजना बनाते समय, आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप कितनी बचत कर सकते हैं और फिर आप खर्चों का हिसाब लगाएँ ।

पूरी दुनिया में एक सफल निवेशक के रूप में जाने वाले वॉरेन बफे ने कुछ इस प्रकार कहा है :- खर्च करने के बाद जो बच जाए उसकी बचत न करें; बल्कि बचत करने के बाद जो बच जाए उसे खर्च करें ।

इसीलिए, अपनी आमदनी का हिसाब लगाते समय जिस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए वह इस प्रकार है :

$$\text{आमदनी} - \text{बचत} = \text{खर्च}$$

धन-संपत्ति रातोंरात नहीं बनती । इसके लिए जरूरत होती है स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने की । सही वित्तीय लक्ष्य वही होता है जो सटीक हो, निश्चित हो, जो हासिल किया जा सके, जो वास्तविक और समयबद्ध हो ।

		गलत तरीका	सही तरीका
सटीक	आपको यह ठीक-ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कब तक हासिल करना चाहते हैं ।	मुझे अगले साल अपनी पोती के जन्मदिन के लिए अलग से पैसे जमा करने होंगे ।	मुझे अगले साल अपनी पोती के जन्मदिन के लिए अलग से 10,000 रुपये जमा करने होंगे ।
निश्चित	लक्ष्य हमेशा निश्चित होना चाहिए, ताकि आपको यह पता हो कि आप उसे कब तक हासिल कर लेंगे ।	मैं अपने क्रेडिट कार्ड के अधिकांश बिल का जल्द ही भुगतान कर दूँगा ।	अगले छह महीनों में, मैं अपने क्रेडिट कार्ड के सारे बिलों का पूरा भुगतान कर दूँगा ।
जो हासिल किया जा सके	आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हासिल करना संभव हो ।	मैं पैसे बचाऊँगा ।	मैं हर महीने ₹.4,000/- अलग से बचाकर प्रत्येक वर्ष ₹.48,000 की बचत करूँगा ।

वास्तविक	आप अपने लक्ष्य अपनी आमदनी के स्रोत और उन कार्यों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करें, जिन्हें आप पूरा कर सकते हों ।	नियमित रूप से बचत करके, मैं करोड़पति बन जाऊँगा ।	नियमित रूप से बचत करके, अगले वर्ष के जनवरी माह तक मैं अपने सभी ऋणों से मुक्त हो जाऊँगा । यदि अपने सभी ऋण चुकाने के बाद मैं लगातार बचत करता रहूँ, तो अगले दिसम्बर तक मैं अपने जीवनयापन हेतु छह महीनों के खर्च के बराबर की रकम बचा पाऊँगा ।
समयबद्ध	यदि आप अपने लक्ष्यों के लिए समय-सीमा तय कर लेंगे, तो आप यह जान पाएँगे कि आप आज कहाँ खड़े हैं और इससे यह होगा कि लक्ष्य हासिल होने तक आपका मनोबल बना रहेगा ।	मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँगा ।	मैं अपनी बेटी की शादी के लिए 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 50,000/- रुपये की बचत करूँगा ।

लक्ष्य आधारित निवेश का उद्देश्य व्यक्ति विशेष के उन लक्ष्यों को पूरा करना होता है जो विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए हों । इसके तहत विभिन्न लक्ष्यों के संबंध में भविष्य में होने वाले खर्च का पता लगाया जाता है और तब जाकर प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्य के अनुसार निवेश करने हेतु आस्ति का आबंटन करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । निवेश करते समय इस नीति को अपनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी उम्र, जोखिम वहन करने की क्षमता, आर्थिक स्थिति और निवेश अवधि को ध्यान में रखकर योजना बनाए ।

वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन पाँच बातों का ध्यान रखें

पहली : ऐसे लक्ष्य बनाएँ जो स्पष्ट हों

किसी लक्ष्य विशेष को हासिल करने के लिए कितना निवेश किया जाना है, यह निर्धारित कर लेना जरूरी है और इसके लिए एक उचित योजना बनाना महत्वपूर्ण है । अपने वित्तीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पहचान करना और उन लक्ष्यों को हासिल करने में कितना पैसा लग सकता है, इसका अनुमान लगाना भी बेहद जरूरी है ।


दूसरी :

अपने लक्ष्यों को अल्पावधि (कम समय में हासिल किए जाने वाले), मध्यावधि (थोड़े अधिक समय में हासिल किए जाने वाले) या दीर्घावधि (लंबे समय में हासिल किए जाने वाले) लक्ष्य की श्रेणी में बाँट लेना चाहिए


तीसरी : यह तय करना कि आस्ति का आबंटन किस प्रकार किया जाना है

आस्ति का आबंटन करना एक प्रकार की नीति है जिसके तहत आपके पैसों का निवेश आस्ति की उन विभिन्न श्रेणियों [जैसे इक्विटी और ऋण (डेट)] में किया जाता है, जो निवेशक की आय और जोखिम उठाने की उसकी क्षमता के अनुसार सही हो । एक श्रेणी की आस्ति में एक ही तरह के वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट्स) होते हैं । आस्ति आबंटन (असेट अलोकेशन) निवेश करने की एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य जोखिम और मुनाफे (रिटर्न) के बीच संतुलन बैठाना है और जिसके तहत किसी व्यक्ति के वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम उठाने की उसकी क्षमता और निवेश अवधि के अनुसार उस व्यक्ति के पोर्टफोलियो की आस्तियों (असेट्स) का निवेश किया जाता है ।


आस्तियों का आबंटन




आस्तियों का आबंटन आपकी आयु, जीवनशैली और परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धताओं तथा वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। अपनी निधि (फंड) का आबंटन करते समय, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपना निवेश अलग-अलग आस्तियों (जैसे इक्विटी, बॉण्ड, रियल इस्टेट आदि) में करें, ताकि आपको अलग-अलग आस्तियों में निवेश करने का लाभ मिले। अलग-अलग आस्तियों में पैसे लगाने (डाइवर्सिफिकेशन) से एक तरफ जहाँ जोखिम में कमी आती है, तो वही दूसरी तरफ निवेश पर मुनाफे (जो ठीक-ठाक भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं) मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है।



कुल पोर्टफोलियो



कुल पोर्टफोलियो



कुल पोर्टफोलियो

चौथी : निवेश के सही माध्यमों का चयन करें और अलग-अलग आस्तियों में अपने पैसे का निवेश [डाइवर्सिफिकेशन (विविधीकरण)] करें।

जोखिम और मुनाफे का साथ-साथ सही ढंग से आकलन करना तथा सही ढंग से आस्ति का आबंटन करना कठिन जान पड़ता है। लंबे समय में हासिल किए जाने वाले लक्ष्य के संबंध में यही सही होता है कि आस्ति आबंटन के डाइवर्सिफिकेशन (विविधीकरण) के जरिए अर्थात् अलग-अलग आस्तियों में निवेश करके मुनाफे (रिटर्न) को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

अलग-अलग जगह निवेश करना (डाइवर्सिफिकेशन) :

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए अलग-अलग वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स), उद्योगों, और अन्य श्रेणियों में निवेश करके जोखिम को कम कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य मुनाफे पर होने वाले नुकसान को कम करना है, जिसके लिए अलग-अलग आस्तियों [ऋण (डैट), इक्विटी, स्वर्ण, रियल इस्टेट, आदि] में निवेश किया जाता है। अर्थव्यवस्था या बाजार से संबंधित किसी घटना के घटित होने पर अलग-अलग आस्तियों पर उस घटना का प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है।

हालाँकि अलग-अलग जगह निवेश करने से भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आपको कोई नुकसान न हो, फिर भी लंबे समय वाले वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि अलग-अलग जगह निवेश किया जाए।

सलाह :



- ✓ सारा पैसा एक ही जगह न लगाएँ।
- ✓ डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है अलग-अलग वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स) में या अलग-अलग प्रकार की आस्तियों (असेट्स क्लास) में निवेश करना।
- ✓ लक्ष्य ऐसा हो कि जोखिम और मुनाफे के बीच सही संतुलन बैठ सके।

पाँचवी : वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करना और उनमें बदलाव करना


सही दिशा में बढ़ते रहने के लिए, अपने लक्ष्यों और निवेशों के संबंध में अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक और पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) जैसे निवेशों की समीक्षा करें। कुछ ऐसे भी उत्पाद (प्रोडक्ट) हो सकते हैं जिन्हें किसी आवश्यकता विशेष से बनाया गया हो, किंतु यह जरूरी नहीं है कि वे सभी आपके पोर्टफोलियो के लिए उपयोगी ही हों। निवेश के ऐसे विकल्पों से सावधान रहना चाहिए।

ग. निवेश के विकल्पों का चयन करना और जोखिम को समझना

निवेशक के पास निवेश के जो विकल्प उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं - नियत आय वाली प्रतिभूतियाँ (फिक्स्ड इनकम सिक्यूरिटीज़), इक्विटी में निवेश, पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स) आदि। प्रत्येक आस्ति वर्ग से जुड़े जोखिम और मुनाफे (रिटर्न) अलग-अलग होते हैं। इक्विटी में निवेश को अधिक जोखिम वाला निवेश माना जाता है, क्योंकि उनसे मिलने वाला मुनाफा कंपनी विशेष के कार्य-निष्पादन और सामान्य आर्थिक हालात पर निर्भर करता है। जबकि दूसरी ओर, ऋण लिखतों (डेट इंस्ट्रुमेंट्स) में किए जाने वाले निवेश को तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाला माना जाता है।

उदाहरण के लिए, सरकारी बॉण्डों को जोखिम मुक्त निवेश माना जाता है, क्योंकि उनके साथ यह विश्वास होता है कि निवेशकों को पैसा लौटाने में सरकार चूक (डिफॉल्ट) नहीं करेगी।

निवेश के तीन स्तंभ - कोई भी व्यक्ति निवेश के संबंध में निर्णय लेते समय तीन बातों का अवश्य ध्यान रखता है, वे हैं - सुरक्षा, अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) और मुनाफा (रिटर्न)।




I. सुरक्षा : सुरक्षा से तात्पर्य है कि निवेश के लिए लगाई गई मूल धनराशि और उस पर मिलने वाला मुनाफा कितना सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति को रु. 100/- उधार देते हैं, तो क्या वह समय पर आपके पैसे लौटा देगा? या फिर यों कहे कि क्या आपके रु. 100/- सुरक्षित हैं? सुरक्षा का अर्थ है कि आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा सुरक्षित है और ऐसा बिल्कुल संभव है कि जिस तारीख को आपका पैसा लौटा दिए जाने की बात की गई हो, उस तारीख को या उससे भी पहले यदि आपको अपने पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह आपको लौटा दिया जाएगा।

II. अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) : निवेश का दूसरा अहम पहलू है कि आप कितनी आसानी से अपने निवेश से अपना पैसा उचित मूल्य पर निकाल सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार इसका अर्थ यह है कि जरूरत पड़ने पर आपका पैसा कितनी जल्दी आपको वापिस मिल जाएगा।

III. मुनाफा (रिटर्न) : आपको अपने निवेश पर कितना मुनाफा मिलेगा? यह आय के रूप में भी मिल सकता है और निवेश की गई रकम के मूल्य में वृद्धि के रूप में भी, या दोनों ही रूपों में। आय का आशय निवेश पर ब्याज या लाभांश (डिविडेंड) के रूप में होने वाली आमदनी से है। मूल्य में वृद्धि होने का आशय समय के साथ निवेश के बाजार मूल्य में होने वाली बढ़ोतरी से है। उदाहरण के लिए, यदि आपके निवेश का बाजार मूल्य उस समय से अधिक है जब उसे निवेश किया गया था, तो इसे निवेश के मूल्य में वृद्धि या मुनाफा कहा जाता है। निवेश के समय जो मूल्य था, यदि बाजार मूल्य उससे कम हो जाता है, तो इसे मूल्य में ह्रास या हानि कहा जाता है।

घ. निवेश से मिलने वाला मुनाफा (रिटर्न)

निवेश से मिलने वाले मुनाफे (रिटर्न) का आशय निवेशक द्वारा उसके निवेश से हुए लाभ से है। मुनाफे दो रूपों में होते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है :-




पूँजी में वृद्धि होने का उदाहरण: मान लें कि कोई निवेशक ₹.50/- प्रति शेयर की दर से किसी कंपनी के 100 शेयर कुल ₹.5,000/- में खरीदता है। जब कंपनी के शेयरों की कीमत प्रति शेयर बढ़कर ₹.65/- हो जाती है और निवेशक 100 शेयर बाजार में बेच देता है, तो उसे ₹.6,500/- प्राप्त होंगे (100 शेयर * प्रति शेयर ₹.65/-)। इस प्रकार निवेशक को शुरू में किए गए अपने निवेश से ₹.1,500/- का मुनाफा होता है। इसे ही पूँजी में वृद्धि का होना (कैपिटल अप्रीशीएशन) कहा जाता है।


ड. जोखिम और मुनाफा क्या है ?

किसी निवेश से होने वाले अपेक्षित मुनाफे की जगह यदि हानि होने की आशंका या संभावना हो, तो उस आशंका को जोखिम कहा जाएगा। निवेशक को उसकी उम्मीद के अनुसार मुनाफा मिल पाने या न मिल पाने को लेकर जितनी अनिश्चितता होगी, जोखिम का स्तर भी उतना ही होगा।

जोखिम बनाम मुनाफा



जोखिम और निवेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छी बात यह है कि जोखिम लेने से आपको निवेश पर बेहतर मुनाफा मिलने की संभावना बनी रहती है। इसी वजह से जोखिम लेना बुरा नहीं है।



आप जब भी किसी आस्ति (असेट क्लास) में निवेश करें, तो अपने निवेश पर नियमित रूप से नज़र रखें और बाजार में हो रही हलचल की जानकारी रखें, ताकि आप समय रहते संभल सकें।

यह हमेशा देखते रहें कि किस-किस प्रकार का जोखिम हो सकता है और जहाँ बढ़ा-चढ़ा कर मुनाफे के वादे किए जाएँ, वहाँ पूरी सावधानी बरतें।

अध्याय 4 - बचत संबंधी उत्पाद

इस अध्याय में, हम बचत से जुड़े उन विभिन्न उत्पादों की चर्चा करेंगे जो आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। इनमें शामिल हैं - बैंकों द्वारा चलाई जा रही जमा स्कीमें (डिपॉजिट स्कीम्स), सरकार की जमा स्कीमें, कंपनियों द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही जमा स्कीमें, आदि।

क. बैंकों में पैसा क्यों रखें ?

घर में पैसा रखने के नुकसान :

- सुरक्षित नहीं रहता - पैसे की चोरी हो सकती है या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हम पैसे गवाँ सकते हैं।
- जमापूँजी नहीं बढ़ती - ब्याज से होने वाली आय का नुकसान।
- ऋण नहीं मिलना / कम ऋण मिलना - बैंकों में पैसे जमा रखने से आप ऋण लेने के पात्र बनते हैं।

इसीलिए घर में नकद पैसा रखने से कहीं अच्छा है उन्हें बैंकों में रखना।

ख. बैंकिंग

वाणिज्यिक बैंक विनियमित वित्तीय संस्थाएँ हैं, क्योंकि वे आम जनता के पैसे में लेनदेन करते हैं और लोगों का उन पर भरोसा होता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंकों के लिए अनिवार्य है कि समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जाए तथा उनकी लेखापरीक्षा (ऑडिट) भी की जाए और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी प्रत्येक वर्ष उनकी लेखापरीक्षा (ऑडिट) की जाती है।

बैंकों में पैसा जमा करना तुलनात्मक रूप से कम जोखिमभरा निवेश है।

बैंकों के यहाँ ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार तरह-तरह की जमा स्कीमें होती

हैं। बैंक की जमा स्कीमों में निवेश करते समय मुनाफों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी इसे ज्यादा पसंद इसीलिए किया जाता है क्योंकि उनमें से पैसा निकालना आसान होता है और पैसा सुरक्षित रहता है। बैंकों से मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) की रकम की एवज में उस रकम के 75 से 90 % तक ऋण भी लिया जा सकता है।



केन्द्रीय सरकार की जमा बीमा स्कीम (डिपॉजिट इश्योरंस स्कीम) यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा सभी जमाओं (डिपॉजिट्स) के संबंध में किसी एक बैंक में प्रति ग्राहक 5 लाख रुपये की सीमा तक का बीमा प्रदान किया जाए। इसलिए, किसी बैंक के दिवालिया घोषित हो जाने पर भी, जमाकर्ताओं को यह भरोसा रहता है कि सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी और बैंक में उनके द्वारा जमा की गई 5 लाख रुपये तक की बचत की रकम वापस दिला देगी। इस स्कीम की पूरी जानकारी के लिए, आप समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का वेबसाइट देख सकते हैं।

ग. खाता खोलने की प्रक्रिया -

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंड किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए, ग्राहकों को केवाईसी संबंधी मानदंडों का पालन करने संबंधी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। केवाईसी का अर्थ है - "अपने ग्राहक को जानिए"। केवाईसी का उद्देश्य है बैंकों को उनके ग्राहकों को अच्छी तरह जानने और समझने में मदद करना और निवेश संबंधी जोखिम को कम करने में उनकी सहायता करना। केवाईसी के लिए बैंकों द्वारा जो दस्तावेज आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं - तस्वीर, पहचान संबंधी दस्तावेज (पैन कार्ड / आधार कार्ड की प्रति, आदि), और पता संबंधी दस्तावेज (बिजली का बिल / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आधार कार्ड की प्रति, आदि)।



घ. बैंक खातों के प्रकार

बैंक जमा के प्रकार और मुख्य विशेषताएँ
बचत बैंक खाता <ul style="list-style-type: none"> • ब्याज दर कम होती है, हालाँकि पैसा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है । • स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) के माध्यम से आसानी से पैसे के लेनदेन की सुविधा मिलती है । • बचत बैंक खाते की शेष राशि पर मिले ब्याज पर "स्रोत पर कर की कटौती" (टीडीएस) नहीं की जाती, पर जमाकर्ता को इस ब्याज पर कर देना होता है । • खाता या तो एक व्यक्ति के नाम से या फिर एक से अधिक व्यक्ति के नाम से खोला जा सकता है, संयुक्त खाते को दोनों में से किसी एक खाताधारक द्वारा या फिर दोनों खाताधारकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा सकता है । खाता नाबालिगों के नाम पर भी खोला जा सकता है, किंतु उस खाते को अभिभावकों द्वारा चलाया जा सकता है । • किसी भी आयु के नाबालिग भी अपने नैसर्गिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिए बचत बैंक खाता खुलवा सकते हैं । 10 वर्ष से अधिक आयु वाले नाबालिग तो अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाओं (जैसे - इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चैक बुक की सुविधा, आदि) का भी लाभ उठा सकते हैं ।
मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) <ul style="list-style-type: none"> • यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया । • व्यक्तियों और साथ ही साथ नाबालिगों (उनके अभिभावक के जरिए) द्वारा शून्य शेष बचत खाता (जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट) खुलवाया जा सकता है, जिसमें शुरुआत में पैसा जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती । • एक महीने में पैसे कितनी बार जमा करा सकते हैं / कितनी बार निकाल सकते हैं, इस संबंध में ज्यादा छूट मिलती है । • एटीएम कार्ड, पासबुक निःशुल्क जारी किए जाते हैं । • ऐसे खाताधारक उसी बैंक में कोई और बचत बैंक खाता नहीं खुलवा सकते ।
मीयादी जमा खाता <ul style="list-style-type: none"> • इस खाते में बैंक के पास निर्धारित अवधि के लिए पैसे जमा रखने पड़ते हैं, जिन पर एक निश्चित दर पर ब्याज मिलता है । • यदि मीयादी जमाओं पर मिलने वाला या मिला ब्याज निर्धारित रकम से अधिक हो, तो ऐसे में उस पर "स्रोत पर कर की कटौती" की जाती है । • वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दर पर अतिरिक्त लाभ मिलता है । • प्रत्येक बैंक में मीयादी जमा की अवधि और उस पर मिलने वाले ब्याज की दर अलग-अलग हो सकती है ।
आवर्ती जमा खाता <ul style="list-style-type: none"> • पहले से निर्धारित अवधि के लिए एक निश्चित रकम हर माह निश्चित तारीख पर जमा कर दी जाती है । • बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है । • यदि मिलने वाला या मिला ब्याज निर्धारित रकम से अधिक हो, तो ऐसे में उस पर "स्रोत पर कर की कटौती" की जाती है । • वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज दर पर अतिरिक्त लाभ मिलता है । • प्रत्येक बैंक में आवर्ती जमा की अवधि और उस पर मिलने वाले ब्याज की दर अलग-अलग हो सकती है ।
बैंक की विशेष मीयादी जमा स्कीम <ul style="list-style-type: none"> • बैंकों द्वारा कर बचत स्कीम भी चलाई जाती है । • इस पर आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80G (80सी) के तहत छूट मिलती है । • यह एक प्रकार की मीयादी जमा स्कीम होती है, जिसमें से 5 वर्षों तक पैसा नहीं निकाला जा सकता । • समय से पहले पैसा निकालने / उस पर ऋण लेने की अनुमति नहीं होती ।

ड. डिजिटल बैंकिंग

आधुनिक युग में, भुगतान करना, पैसा भेजना (फंड ट्रांसफर), सामान खरीदना आदि जैसे लेनदेन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल फोन के जरिए किए जाते हैं और ग्राहक किसी भी स्थान से लेनदेन कर सकते हैं।



पैसा अंतरण (फंड ट्रांसफर) करने के विभिन्न डिजिटल माध्यमों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

पैसा अंतरण (फंड ट्रांसफर करने) का माध्यम और मुख्य विशेषताएँ

एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण)

- इसके जरिए एक बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजा जा सकता है।
- इसके जरिए कितनी भी रकम भेजी जा सकती है।
- लाभार्थी खाता संख्या और आईएफएससी कोड (भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट - बैंक की प्रत्येक शाखा हेतु एक विशिष्ट कूट संख्या) का इस्तेमाल करके एक बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है।
- प्रत्येक बैंक का अंतरण शुल्क (ट्रांसफर चार्ज) अलग-अलग हो सकता है।
- पैसा दिनभर में किसी भी समय भेजा जा सकता है और जो कुछ ही घंटों में लाभार्थी के खाते में पहुँच जाता है।

आरटीजीएस (तत्काल सकल निपटान)

- इसके जरिए एक बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक के बैंक खाते में पैसा तत्काल भेजा जा सकता है।
- इसका इस्तेमाल ज्यादा पैसे का लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने के लिए किया जाता है।
- लाभार्थी खाता संख्या और आईएफएससी कोड (भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट - बैंक की प्रत्येक शाखा हेतु एक विशिष्ट कूट संख्या) का इस्तेमाल करके एक बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक खाते में पैसा भेजा जाता है।
- प्रत्येक बैंक का अंतरण शुल्क (ट्रांसफर चार्ज) अलग-अलग हो सकता है।
- पैसा कार्य-दिवस को निर्धारित समयावधि के दौरान ही भेजा जा सकता है और जो लाभार्थी के खाते में तत्काल पहुँच जाता है।

आईएमपीएस (तुरंत भुगतान सेवा / इमीडीयेट पेमेंट सर्विस)

- इसके जरिए एक बैंक खाते से किसी दूसरे बैंक के बैंक खाते में पैसा तत्काल भेजा जा सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसा भेजने के लिए, लाभार्थी खाता संख्या और आईएफएससी कोड (भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट - बैंक की प्रत्येक शाखा हेतु एक विशिष्ट कूट संख्या) की जरूरत होती है।
- मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसा भेजने के लिए, लाभार्थी के एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो बैंक द्वारा ग्राहकों को जारी की गई 7 अंकों की एक संख्या है) की जरूरत होती है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)

- वीपीए (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) का इस्तेमाल करके किसी भी स्मार्ट फोन के जरिए पैसा भेजा जाता है।
- इसमें 24 x 7 तत्काल पैसा भेजा जा सकता है।
- इसके लिए ऐसा बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें यूपीआई की सुविधा हो और बैंक संबंधी ब्यौरे देकर लॉग-इन करना पड़ता है।

** पैसा अंतरण (फंड ट्रांसफर) करने के विभिन्न माध्यमों (जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है) के संबंध में पूरी जानकारी के लिए www.rbi.org.in और <https://www.npci.org.in> देखा जा सकता है।

नए प्रकार के बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नए प्रकार के बैंकों और व्यवसाय प्रतिनिधियों को मान्यता दी है, जिनकी मुख्य विशेषताएँ नीचे दी हुई हैं:

शीर्षक	मुख्य विशेषताएँ
भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक)	<ul style="list-style-type: none"> - बचत खाते / चालू खाते की सुविधाएँ प्रदान करते हैं । - मांग जमा (डिमांड डिपॉज़िट) स्वीकार कर सकते हैं किंतु आवर्ती जमा (रिकरिंग डिपॉज़िट) / मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) स्वीकार नहीं कर सकते । - एटीएम / डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं किंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते । - उधार / अग्रिम (एडवांस) नहीं दे सकते । - विभिन्न माध्यमों के जरिए भुगतान और प्रेषण (रेमिटेन्स) की सुविधा देते हैं ।
लघु वित्त बैंक (स्मॉल फाइनेंस बैंक)	<ul style="list-style-type: none"> - छोटी जमाएँ लेते हैं और छोटी रकम उधार देते हैं । - मुख्य तौर पर जनता के जिस वर्ग के लोगों को पैसे जमा करने की सुविधा नहीं मिलती ऐसे वर्ग के लोगों के लिए पैसा बचत करने की सुविधा प्रदान करते हैं । - छोटे कारोबारी यूनिटों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों, छोटे और सीमांत किसानों, असंगठित क्षेत्रों की एंटीटियों को छोटी रकम उधार देते हैं ।
व्यवसाय प्रतिनिधि	<ul style="list-style-type: none"> - व्यवसाय प्रतिनिधि किसी बैंक का ऐसा प्रतिनिधि होता है, जो ग्राहकों (आम तौर पर दूर-दराज के इलाकों / गावों में) के पास जाता है और उनकी बैंकिंग जरूरतों / लेनदेन के मामले में उनकी मदद करता है । - बैंक खाते खुलवाने, जमाएँ (डिपॉज़िट) लेने, पैसे भेजने (ट्रांसफर) करने, “लोन डिपॉज़िट” लेने, छोटी रकम का ऋण दिलवाने, भुगतान / फीस लेने, आदि जैसी सेवाएँ प्रदान कर सकता है ।

च. डिजिटल भुगतान - क्या करें और क्या न करें:

क्या करें	क्या न करें
अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के लिए पासवर्ड का उपयोग करें, ताकि आपकी सहमति के बिना कोई भी आपके सिस्टम का उपयोग न कर सके । अपने पासवर्ड और सुरक्षा सेटिंग्स को नियमित रूप से बदलते रहें ।	कभी भी अपने मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग लॉग इन आईडी और पासवर्ड को सेव न करें । या तो इसे याद कर लें या किसी ऐसी जगह लिखकर रखें जो सुरक्षित हो और जहाँ तक कोई न पहुँच सके ।
हमेशा सीधे अपने बैंक की सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग साइट पर जाएँ । असुरक्षित वाई-फाई नेटवर्क (जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों, सायबर कैफे, आदि) पर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने से बचें ।	कभी भी अपने हैंडसेट के मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करके अथवा पैसे संबंधी किसी लेनदेन के बीच अपने हैंडसेट को लावारिस न छोड़ें ।
अपना लेनदेन पूरा करते ही इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग ऐप्लिकेशन से तुरंत लॉग-आउट कर लें । बिना लॉग ऑफ किए विंडो को बंद न करें ।	अपने खातों के विवरण (अकाउंट स्टेटमेंट) और किए गए लेनदेन के पुराने ब्यौरों को नज़रअंदाज न करें ।
मोबाइल बैंकिंग ऐप में जब कोई नया वर्ज़न आए / या उसे कभी अपग्रेड किया जाए, तब आप भी उसे अपडेट कर लें । अपने फोन के नवीनतम सुरक्षा प्रणालियों और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें ।	जब आप अपने पीसी या लैपटॉप का उपयोग न कर रहे हों, तो उसे लावारिस न छोड़ें और न ही किसी अजनबी पर भरोसा करके उसे इस्तेमाल करने के लिए दें ।

यदि आपको संदेह है कि आपके खाते से अनधिकृत लेनदेन हुआ है, तो इसकी सूचना तुरंत या कम से कम तीन कार्य-दिवसों के भीतर अपने बैंक को दें, ताकि आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जा सके ।	कभी भी अविश्वसनीय और संदिग्ध स्रोतों से ऐप डाउनलोड न करें ।
--	---

छ. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या है:

क्रेडिट कार्ड कार्डधारक को कुछ समय के लिए उधार उपलब्ध कराता है – अर्थात् आपके पास तत्काल पैसा न रहने पर भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं ।

दूसरी तरफ डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बैंक के खाताधारक को जारी किया जाता है, ताकि वह अपने खाते से एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल सके तथा बिक्री केंद्र (पीओएस) पर भुगतान कर सके । सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान लेनदेन में डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं ।



डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों से ही एटीएम के माध्यम से नकदी निकाली जा सकती है तथा डिजिटल माध्यम से लेनदेन (ट्रांजैक्शन) किया जा सकता है ।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अंतर नीचे दिया गया है:

विवरण	क्रेडिट कार्ड	डेबिट कार्ड
पैसा कहाँ से आता है	उधार देने वाला बैंक क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराता है ।	यह उसी बैंक में खुले हुए आपके अपने बचत / चालू खाते से जुड़ा होता है ।
ब्याज	यदि तय समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए, तो उस पर ब्याज लग जाता है ।	लागू नहीं ।
पहले लिए गए ऋण का ब्यौरा	क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए जरूरी ।	डेबिट कार्ड जारी करने के लिए जरूरी नहीं ।
कार्ड जारी करने वाले के साथ संबंध	कार्ड जारी करने वाले बैंक के यहाँ खाता होना जरूरी नहीं ।	कार्ड जारी करने वाले के यहाँ खाता होना जरूरी है ।

एटीएम कार्ड के माध्यम से लेनदेन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें

- बैंक से कार्ड मिलते ही तुरंत पिन बदल दें ।
- अपना पिन नंबर कहीं भी न लिखें । इसे याद कर लें । किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना पिन नंबर न बताएँ ।
- अच्छा हो अगर आप बैंक परिसर के अंदर स्थित एटीएम का प्रयोग करें या उस एटीएम का इस्तेमाल करें जिसकी देखरेख 24 घंटे सुरक्षा गार्ड द्वारा की जा रही हो । आप अपने कार्ड का इस्तेमाल स्वयं करें । यदि खाताधारक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को एटीएम कार्ड लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करने के लिए दिया जाता है, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा ।
- ऑनलाइन लेनदेन करने में आभासी (वर्चुअल) की-बोर्ड का प्रयोग करें ।
- लेनदेन से संबंधित एसएमएस पाने के लिए बैंक में अपना नाम दर्ज कराएँ । हालाँकि, बैंक ग्राहकों को उनके खातों से संबंधित

एसएमएस या ई-मेल भेजने के लिए कुछ शुल्क ले सकता है ।

- अपना पिन समय-समय पर अपनी सुविधानुसार बदलते रहें ।
- कार्ड गुम होने की दशा में तुरंत बैंक को सूचित करें ।
- किसी को भी कार्ड न दें और न ही इसका प्रयोग करने दें ।

ज. अनधिकृत बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में ग्राहक की जिम्मेदारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धोखाधड़ी, बैंक की ओर से हुई लापरवाही या चूक के कारण हुए किसी अनधिकृत लेनदेन के लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा । उसी तरह, जहाँ गलती न तो बैंक की हो और न ही ग्राहक की, बल्कि समस्या सिस्टम में कहीं पर हो, तो ऐसे में ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि वह बैंक से अलर्ट प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अनधिकृत या गैरकानूनी लेनदेन के संबंध में बैंक को सूचित कर दे, और ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक के खाते में इस प्रकार किए गए लेनदेन की राशि निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करेगा । हालाँकि, जिन मामलों में धोखाधड़ी ग्राहक की लापरवाही के कारण हुई हो, उनमें अवैध लेनदेन की रिपोर्ट किए जाने की तारीख तक का सारा नुकसान ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह जोर देकर कहा है कि ग्राहकों के खाते में लेनदेन होने के तुरंत बाद उन्हें बैंक द्वारा इस संबंध में एसएमएस और ई-मेल भेजा जाए । बैंकों को यह सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया है कि ये संदेश (मैसेज) ऐसे हों, जिनका प्रतिउत्तर भेजा जा सके, ताकि ग्राहक ऐसी धोखाधड़ी की जानकारी तुरंत दे सकें ।

झ. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 में की गई थी । भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति तय करता है और इस पर देश की मुद्रा और ऋण व्यवस्था (क्रेडिट सिस्टम) को भी विनियमित करने की जिम्मेदारी है । भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य भारत में वित्तीय क्षेत्र (जिनमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं) का समेकित पर्यवेक्षण (कन्सॉलिडेटेड सुपरविज़न) करना है । यह भारत की मौद्रिक नीति बनाता है, उसे लागू करवाता है और उसकी निगरानी करता है । इस केंद्रीय बैंक का उद्देश्य कीमत को स्थिर बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन आर्थिक क्षेत्रों को पैसे की कमी न हो, जो उत्पादन के कार्य से जुड़े हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक पूरी वित्तीय व्यवस्था के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है तथा यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता भी है ।

ञ. शिकायत निवारण

बैंकिंग उद्योग की स्कीमों से संबंधित किसी शिकायत के निवारण की जानकारी हेतु, कृपया इस पुस्तिका का अध्याय 13 पढ़ें ।

ट. बैंकिंग उद्योग में सरकारी स्कीम


बैंकिंग उद्योग से जुड़ी सरकार की विभिन्न स्कीमों की जानकारी हेतु, कृपया इस पुस्तिका का अध्याय 9 पढ़ें ।

अध्याय 5 - प्रतिभूति बाजार (सिक्कूरिटीज़ मार्केट) में निवेश

प्रतिभूतियों (सिक्कूरिटीज़) में निवेश करने से पहले, आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप बाजार को समझ लें और निहित जोखिमों को पूरी तरह जान लें। जोखिम उठाने की अपनी क्षमता को जान लें और उसके अनुसार ही निवेश करें। आम तौर पर, आप सात प्रमुख जोखिमों के विश्लेषण के आधार पर संभावित निवेश का आकलन कर सकते हैं - बाजार संबंधी जोखिम या प्रणालीगत जोखिम, अप्रणालीगत जोखिम, मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम, अर्थसुलभता संबंधी जोखिम, कारोबार संबंधी जोखिम, उतार-चढ़ाव संबंधी जोखिम और मुद्रा (करेंसी) संबंधी जोखिम।



जोखिमों के प्रकार



i. बाजार संबंधी जोखिम या प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमैटिक रिस्क):

वित्तीय बाजारों के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों और साथ ही समष्टि आर्थिक कारकों की वजह से भी किसी निवेशक को नुकसान हो सकता है। स्टॉक बाजार में उफान (बबल) आ जाना और उसका अकस्मात धराशायी (क्रैश) हो जाना, इस बात को साफ दर्शाता है कि बाजार में जोखिम काफी ज्यादा है।

ii. अप्रणालीगत जोखिम (अनसिस्टेमैटिक रिस्क):

अप्रणालीगत जोखिम का वर्णन किसी विशेष कंपनी या उद्योग में निहित अनिश्चितता के रूप में किया जा सकता है। अप्रणालीगत जोखिम कई प्रकार के हो सकता है जैसे किसी निवेशक द्वारा जिस कंपनी में निवेश किया गया है, उस कंपनी के प्रतिस्पर्धी द्वारा बाजार की बड़ी हिस्सेदारी हथिया लेने की क्षमता, ऐसे विनियामक बदलाव जिनसे कंपनी की बिक्री कम हो सकती है, कंपनी के प्रबंध-मंडल में बदलाव हो सकते हैं और उस कंपनी को अपने उत्पाद बाजार से वापस लेने पड़ सकते हैं।

iii. महंगाई (मुद्रास्फीति) का जोखिम:

महंगाई का जोखिम, जिसे क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) संबंधी जोखिम भी कहा जाता है, का अर्थ होता है कि किसी निवेश से मिलने वाले पैसे का मूल्य भविष्य में उतना नहीं रह जाएगा जितना कि आज है, क्योंकि महंगाई की वजह से क्रय शक्ति घट जाएगी।

iv. अर्थसुलभता संबंधी जोखिम:

अर्थसुलभता संबंधी जोखिम तब होता है जब नुकसान से बचने या नुकसान को कम करने अथवा अचानक आ पड़ी पैसे की किसी

जरूरत को पूरा करने के लिए न तो तुरंत खरीद की जा सके, न ही बिक्री की जा सके और न ही निवेश की गई रकम निकाली जा सके। आप अपने निवेश में विविधता लाकर (अलग-अलग कंपनियों और क्षेत्रों में निवेश करके) इस जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

v. कारोबार संबंधी जोखिम:

इसका अर्थ होता है किसी भी प्रतिकूल बाजार या वित्तीय स्थिति के कारण किसी कारबार के बंद होने का जोखिम।

vi. उतार-चढ़ाव संबंधी जोखिम:

इसका अर्थ यह होता है कि कंपनी के स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, फिर भले ही कंपनी पर कोई खतरा न हो।

vii. मुद्रा (करेंसी) संबंधी जोखिम:

मुद्रा (करेंसी) संबंधी जोखिम तब उत्पन्न होता है जब विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव होने की वजह से पैसा खोने की संभावना पैदा हो जाती है। ऐसा होने का कारण है - एक मुद्रा (करेंसी) की तुलना में दूसरी मुद्रा (करेंसी) की कीमत में बदलाव होना और जिन निवेशकों की आस्तियाँ (असेट्स) दूसरे देशों में भी होती हैं, उन्हें ऐसा जोखिम होने का खतरा रहता है।

जोखिम को कम कैसे करें ?

निवेशक अनेक तरीकों से जोखिम को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आस्ति आबंटन (असेट एलोकेशन) एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से एक निवेशक विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में निवेश करके, विविधीकरण (अलग-अलग जगह निवेश) का लाभ उठाकर जोखिम को कम कर सकता है।

पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंडों) में एसआईपी के जरिए निवेश करके या समय-समय पर सीधे बाजार से छोटे-छोटे लॉट में इक्विटी खरीदकर भी उतार-चढ़ाव संबंधी जोखिम को कम किया जा सकता है। किसी कंपनी की बुनियादी बातों की अच्छी समझ कंपनी की स्थिति के बारे में उचित निर्णय लेने में मददगार होती है। बेशक, निवेशकों को प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने से संबंधित अफवाहों और अनचाहे संदेशों को नजरअंदाज करना चाहिए।

प्रतिभूतियों जैसे शेयरों, पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों, व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स), बॉण्ड आदि का विनियमन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दायरे में आता है।

प्रतिभूति बाजार में निवेश प्राथमिक बाजार के साथ-साथ द्वितीयक बाजार के माध्यम से भी किया जाता है। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में यह फर्क है कि प्राथमिक बाजार में, निवेशकों को सीधे कंपनी द्वारा प्रतिभूतियाँ आबंटित की जाती हैं, जबकि द्वितीयक बाजार में निवेशक अपने स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के माध्यम से मौजूदा निवेशकों से प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश पर कर संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, और इस प्रकार अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक पूँजीगत लाभ और साथ ही लाभान्श (डिविडेंड) के भुगतान पर भी कर संबंधी प्रावधान लागू होते हैं।

प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले क्या-क्या चाहिए ?

इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए, निवेशक के पास तीन खाते होने चाहिए, अर्थात्

बचत खाता - किसी वाणिज्यिक बैंक के यहाँ बचत बैंक खाता

ट्रेडिंग खाता - स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के लिए एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक दलाल (ब्रोकर) (सेबी से रजिस्ट्रीकृत) के पास एक ट्रेडिंग खाता

डीमैट खाता - गैर-कागज़ी रूप (डीमैटीरियलाइज़्ड) में / इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने के लिए निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट / डीपी) (सेबी से रजिस्ट्रीकृत) के पास डीमैट खाता।

डीमैट खाता किसी भी निक्षेपागार के निक्षेपागार सहभागी के पास खोला जा सकता है। नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) सेबी से रजिस्ट्रीकृत दो निक्षेपागार हैं।

सेबी से रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलालों और निक्षेपागार सहभागियों की सूची सेबी की आधिकारिक वेबसाइट (www.sebi.gov.in) या संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागार की वेबसाइटों से प्राप्त की जा सकती है।


प्राथमिक बाजार

जब कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से पहली बार नए शेयर या बॉण्ड लाती है, तो वह ऐसा प्राथमिक बाजार में करती है। कई मामलों में, यह आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) होता है। सेबी शेयरों के अभिदान (सब्सक्रिप्शन) के लिए जनता को जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस की जाँच-पड़ताल करता है, ताकि यह देखा जा सके कि उसमें सेबी के विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं को पूरा किया गया है या नहीं। प्राथमिक बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों को निर्गमित (इश्यू) करने वाली कंपनियाँ मर्चेन्ट बैंकरों को नियुक्त करती हैं, जो कंपनी की ओर से प्रॉस्पेक्टस तैयार करते हैं और शेयरों के निर्गम (इश्यू) से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करते हैं जैसे आबंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना, स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों की सूचीबद्धता आदि।

शेयरों के लिए निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एएसबीए)

अब निवेशक एएसबीए के माध्यम से शेयरों के लिए आवेदन कर सकता है। एएसबीए का अर्थ है "निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन"। 1 मई, 2010 से सार्वजनिक निर्गमों में सभी निवेशक एएसबीए के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एएसबीए किसी निवेशक द्वारा किसी निर्गम में अभिदान के लिए किया गया आवेदन है जिसमें बैंक को यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह उनके बैंक खाते में पड़ी आवेदन राशि को निरुद्ध कर दे। निरुद्ध रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। यदि कोई निवेशक एएसबीए के माध्यम से आवेदन कर रहा है, तो उसकी आवेदन राशि बैंक खाते से तभी निकाली (डेबिट की) जाएगी, जब आबंटन के आधार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आबंटन के लिए उसके आवेदन को चुना गया हो। निवेशक को धन-वापसी (रिफंड) के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरीटीज़) के आबंटन (अलॉटमेंट) के लिए जरूरी राशि उसके बैंक खाते से काट ली जाती है और यदि निवेशकों को प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरीटीज़) का आबंटन नहीं किया जाता, तो बैंक खाते में पड़ी रकम को अनब्लॉक कर दिया जाता है और निवेशक उसका इस्तेमाल कर सकता है।

अस्बा में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) हाल ही में, अस्बा के माध्यम से भुगतान करने के संबंध में एक नई सुविधा के तौर पर यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल करने की सुविधा भी दे दी गई । इस सुविधा का इस्तेमाल सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) की प्रक्रिया में पैसा (फंड्स) ब्लॉक करने और भुगतान करने के लिए किया जा सकता है । इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए निवेशकों को यूपीआई की सुविधा वाले किसी भी मोबाइल ऐप्लिकेशन पर यूपीआई आईडी बनानी होगी और पिन बनाना होगा । यूपीआई के इस्तेमाल से सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) की प्रक्रिया और सुविधाजनक तथा सहज बन जाएगी, और इतना ही नहीं इससे सचीबद्धता (लिस्टिंग) में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा ।



द्वितीयक बाजार

द्वितीयक बाजार वह बाजार है जहाँ कंपनी द्वारा प्राथमिक बाजार में स्टॉक और बॉण्ड निर्गमित किए जाने के बाद, प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) किया जाता है। शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होते हैं और वहीं पर उनकी ट्रेडिंग की जाती है इस प्रकार स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक बाजार में शेयरों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में सेबी से मान्यताप्राप्त प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं - बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई)।

कोई भी व्यक्ति द्वितीयक बाजार के माध्यम से प्रतिभूतियों को खरीद सकता है बशर्ते कि वह व्यक्ति ऐसी कीमत देने के लिए तैयार हो, जिस पर प्रतिभूतियों में व्यापार हो रहा है। प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से पहले आपको कंपनी की पृष्ठभूमि, भविष्य की संभावनाओं और कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए।

एक बार जब आप किसी स्टॉक दलाल के यहाँ खाता खोलते हैं, तो आप मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (जहाँ शेयर सूचीबद्ध होते हैं और उनका व्यापार (ट्रेडिंग) किया जाता है) के स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के माध्यम से किसी कंपनी के शेयरों को खरीद या बेच सकते हैं। आप दलाल (ब्रोकर) के वेबसाइट, दलाल (ब्रोकर) की मोबाइल ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से ऑन-लाइन ट्रेडिंग खाते का प्रयोग करके, कॉल एंड ट्रेड सुविधा के माध्यम से या दलाल (ब्रोकर) के ऑफिस में जाकर प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का ऑर्डर डाल सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी)




निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) / दलाल (ब्रोकर) के यहाँ डीमैट तथा ट्रेडिंग खाता खुलवाने के लिए निवेशक को संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) / दलाल के यहाँ अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी करना धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट, 2002) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनिवार्य है। निवेशक को पहचान के सबूत और पते के सबूत के

तौर पर कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज [जैसे – पैन कार्ड / विशिष्ट पहचान-पत्र (यूआईडी) (आधार) / पासपोर्ट / मतदाता पहचान-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस, आदि] प्रस्तुत करने होते हैं। केवाईसी की प्रक्रिया आधार पर आधारित ई-केवाईसी की व्यवस्था के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकती है अथवा मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) पते पर जाकर या दस्तावेज भिजवाकर ऑफलाइन पूरी की जा सकती है।

केवाईसी अपने ग्राहक को जानिए

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में लेनदेन करते समय एक बार केवाईसी करवाना पड़ता है। एक बार जब सेबी से रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती [दलाल (ब्रोकर), डीपी, म्यूचुअल फंड] के जरिए केवाईसी करवा लिया जाता है, तो निवेशक को दूसरे मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के पास दोबारा से वही प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं होती।

ऑन-लाइन पोर्टल पर आधारित निवेशक (निवासी) की ई-केवाईसी की प्रक्रिया



एकबार जब आप स्टॉक दलाल के यहाँ खाता खुलवा लेते हैं, तो आप उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के जरिए किसी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं, जहाँ वे शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों और जहाँ उनमें सौदेबाजी (ट्रेडिंग) हो रही हो। आप अपने दलाल के जरिए प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) खरीदने या बेचने के लिए सौदे (ऑर्डर) डाल सकते हैं, जिसके लिए आप दलाल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलाल के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन पर कॉल एवं ट्रेड की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके कार्यालय में जा सकते हैं।

ऑर्डर डालने के तरीके:



सचेतक:

हमेशा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के माध्यम से ही शेयर खरीदें या बेचें।

व्यापार (ट्रेडिंग) के दिन और व्यापार (ट्रेडिंग) एवं निपटान चक्र

स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार (ट्रेडिंग) पूरे सप्ताह होता है (शनिवार और रविवार तथा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पहले ही घोषित किए गए अवकाश के दिनों को छोड़कर)।

शेयरों की खरीद के मामले में, निवेशकों को संबद्ध निपटान की पे-इन तारीख से पहले अपने स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के बैंक खाते में भुगतान करना होता है। निवेशक द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, दलाल पे-आउट तारीख के बाद निवेशक के डीमैट खाते में शेयरों को जमा (क्रेडिट) करता है।

इसी तरह, शेयरों की बिक्री के मामले में, निवेशकों को संबद्ध निपटान की पे-इन तारीख से पहले अपने दलाल (ब्रोकर) के डीमैट खाते में शेयरों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) करनी होती है। जब निवेशक द्वारा शेयरों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) कर दी जाती है, तब दलाल पे-आउट तारीख के बाद निवेशक के बैंक खाते में राशि जमा करता है।

पे-इन डे और पे-आउट डे क्या होता है?

पे-इन डे वह दिन होता है जब दलाल स्टॉक एक्सचेंज में पैसों का भुगतान (शेयरों की खरीद के मामले में) या प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) की सुपुर्दगी (डिलीवरी) (शेयरों की बिक्री के मामले में) करते हैं। पे-आउट डे वह दिन होता है जब स्टॉक एक्सचेंज दलाल (ब्रोकर) को पैसों का भुगतान (शेयरों की बिक्री के मामले में) या प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) की सुपुर्दगी (डिलीवरी) (शेयरों की खरीद के मामले में) करता है। 1 अप्रैल, 2003 से निपटान चक्र टी+2 आवर्ती (रोलिंग) निपटान आधार पर है (जहाँ टी का अर्थ व्यापार का दिन है)। उदाहरण के लिए, सोमवार को निष्पादित किए जाने वाले व्यापार (ट्रेड) का निपटान आमतौर पर अगले बुधवार (व्यापार के दिन के बाद दूसरे कार्य-दिवस) को किया जाता है। पैसों और प्रतिभूतियों के पे-इन और पे-आउट टी+2 दिन पर किए जाते हैं।

एक्सचेंज यह सुनिश्चित करते हैं कि दलाल (ब्रोकर) ग्राहकों के खातों में पैसों और प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) को पे-आउट के 24 घंटों के भीतर जमा कर दें।

मार्जिन और प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) को गिरवी रखना / दोबारा गिरवी रखना

जब कोई निवेशक कोई स्टॉक खरीदता है, तब उसके पास दो विकल्प होते हैं, अर्थात्

- पहले ही स्टॉक की पूरी कीमत अदा कर देना, जिसे अर्ली पे-इन कहा जाता है या फिर
- केवल स्टॉक की कीमत का कुछ प्रतिशत अदा करना और दलाल से शेष पैसा लगाने के लिए उधार लेना। स्टॉक की कीमत का जो हिस्सा निवेशक द्वारा पहले अदा किया जाता है उसे मार्जिन कहते हैं। शेष रकम का भुगतान पे-आउट की निर्धारित समय-सीमा में किया जा सकता है।

इसी प्रकार, जब कोई निवेशक अपने स्टॉक बेचना चाहता है, तब उसके पास यह विकल्प होता है कि वह या तो जो शेयर बेचने हों वे शेयर जमा करा दे या फिर पहले कोई मार्जिन की रकम जमा करा दे। मार्जिन या तो नकदी के रूप में हो सकता है या फिर नकदी के समतुल्य [अर्थात् मीयादी जमा, बैंक गारंटी, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़), म्यूचुअल फंड की यूनिटों, सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों (ट्रेज़री बिल्स)] के रूप में।

मार्जिन प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के रूप में [केवल दलाल के पक्ष में प्रतिभूतियाँ (सिक्क्यूरिटीज़) गिरवी रखकर] दी जा सकती है। अपनी संपत्ति को किसी ऋण की जमानत के तौर पर रखना गिरवी रखना कहलाता है। स्टॉक दलाल जमानत के तौर पर प्रतिभूतियाँ (यानि कि शेयर) केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब ग्राहक के डीमैट खाते में पड़ी प्रतिभूतियाँ (सिक्क्यूरिटीज़) मार्जिन के तौर पर गिरवी रखी जाएँ। निवेशक (ग्राहक) के लिए यह जरूरी है कि वह प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) को मार्जिन हेतु गिरवी पर रखने के लिए निदेश दे। यह निदेश या तो कागज़ी रूप में या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में “स्पीड-ई” (एनएसडीएल के लिए) “ईज़ीएस्ट” (सीडीएसएल के लिए) दिया जा सकता है।

संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) नोट

स्टॉक दलाल (ब्रोकर) के द्वारा किए गए व्यापार का सबूत होता है, जो निवेशक को दिया जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें लेनदेन का विवरण होता है जैसे खरीदी गई / बेची गई प्रतिभूतियों के विवरण, व्यापार (ट्रेड) किस कीमत पर किया गया, व्यापार का समय, दलाली (ब्रोकरेज) आदि। संविदा नोट कागजी रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है। यदि निवेशक इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट का विकल्प चुनता है, तो निवेशक के ई-मेल के विवरण के साथ-साथ स्टॉक दलाल (ब्रोकर) को एक विशेष प्राधिकार दिया जाना होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टिड होंगे और इनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी।

मूल सेवायुक्त डीमैट खाता (बीएसडीए)

सेबी वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इनक्लूशन) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीमैट खाते खोलने को प्रोत्साहित करता है। छोटे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए डीमैट खातों में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज) रखने से संबंधित खर्चे कम करने के लिए, सेबी ने निवेशकों हेतु मूल सेवायुक्त डीमैट खाते (बीएसडीए) की सुविधा मुहैया कराई है।

बीएसडीए

का अर्थ है

मूल सेवायुक्त डीमैट खाता

बीएसडीए के फायदे

- शून्य / कम वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी) - या तो न लगना या कम लगना

बीएसडीए में रखी गई ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्यूरिटीज़) का मूल्य	बीएसडीए में रखी गई इक्विटी का मूल्य	वार्षिक रखरखाव प्रभार (एएमसी)
₹. 1,00,000 तक	₹. 50,000 तक	शून्य
₹. 1,00,001 से 2,00,000 तक	₹. 50,001 से 2,00,000 तक	अधिकतम एएमसी – ₹. 100
₹. 2,00,000 से ज्यादा	₹. 2,00,000 से ज्यादा	उतने ही शुल्क जितने नियमित डीमैट खातों पर लागू होते हैं

वार्षिक रखरखाव शुल्क (एएमसी)

ये प्रभार ऐसे प्रभार होते हैं, जो निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स) द्वारा हिताधिकारी स्वामियों (बेनिफिशियरी ओनर्स) [खाता धारकों] के डीमैट खातों का रखरखाव करने के लिए, उनके डीमैट खाते में रखी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) आदि के मूल्य के अनुसार, लिए जाते हैं।

- नियमित रूप से दिए जाने वाले डीमैट खाते के ट्रांजेक्शन और होल्डिंग स्टेटमेंट बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं।
- बिलिंग साइकल के दौरान 2 कागजी विवरण बिना किसी शुल्क के दिए जाते हैं।
- खाता खोलने के समय कम से कम 2 डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी जाएंगी।


पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड)

पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) कई निवेशकों से पैसे इकट्ठे करती है और उन्हें शेयरों (स्टॉक), बॉण्डों, अल्पावधि मुद्रा बाजार की लिखतों (मनी-मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स), अन्य प्रतिभूतियों या आस्तियों में निवेश करती है अथवा इनमें से कुछ को मिलाजुलाकर निवेश करती है। सभी पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) के लिए सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है, उसके बाद ही वे कोई

भी स्कीम शुरू कर सकते हैं ।

पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **पेशेवर ढंग से प्रबंधन** - पैसों का निवेश निधि प्रबंधकों के जरिये किया जाता है, जिन्हें निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होती है।
- **विविधीकरण** - विविधीकरण एक निवेश नीति है जिसका सरल शब्दों में अर्थ होता है - आपके पैसे को थोड़ा-थोड़ा करके कई निवेश विकल्पों में लगाना जैसे पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की विभिन्न योजनाओं में निवेश करना और कई कंपनियों के शेयर खरीदना।
- **किफायती** - पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) एक बार में ही बड़ी मात्रा में प्रतिभूतियों की खरीद करती है और बेचती है। ऐसा करने से इसकी लेनदेन संबंधी लागत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे लेनदेन की लागत की अपेक्षा काफी कम हो जाती है।
- **अर्थसुलभता (लिक्विडिटी)** - आम शेयरों की तरह, पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों को बाजार में बेचकर या उनका मोचन (रिडेंप्शन) करवाकर पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं।
- **सरल** - पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनिटों को खरीदना आसान है और इसके लिए न्यूनतम निवेश राशि काफी कम रखी गई है।
- **कर लाभ** - पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की विभिन्न श्रेणियाँ अलग-अलग कराधान के अधीन आती हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि इसमें निवेश करने से पहले आप पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) से जुड़े कर लाभ आदि समझ लें।



पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) को उनकी स्कीम के उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। स्कीमें विभिन्न प्रकार के निवेशकों, जोखिम न उठाने वाले निवेशकों (ऐसे रूढ़िवादी निवेशक जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते), उदारवादी निवेशकों (थोड़ा जोखिम उठाने वाले निवेशक) और अति महत्वाकांक्षी निवेशकों (जो निवेशक ज्यादा मुनाफा पाने के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं) की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) का वर्गीकरण:


पारस्परिक निधियों की स्कीमों को मुख्य रूप से पाँच वर्गों में बाँटा गया है, जो इस प्रकार हैं:



पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) के उत्पादों का वर्गीकरण (की प्रोडक्ट लेबलिंग):

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारस्परिक निधियों को निहित जोखिम के स्तर के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाना चाहिए और उसे "रिस्कोमीटर" नामक चित्र के जरिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के उत्पाद-वर्ग और रिस्कोमीटर नीचे दिए गए हैं:

रिस्कोमीटर



सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) क्या होता है ?


सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) निवेशक को पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की स्कीम में नियमित रूप से एक निश्चित राशि लगाने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से आप भविष्य में अपने पैसों में और वृद्धि करने के उद्देश्य से नियमित अंतरालों (साप्ताहिक, मासिक और तिमाही) पर एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए निवेश करने से बचत करने की आदत पड़ती है। सही समय पर बाजार में निवेश करने की कोशिश करने की बजाय, निवेशक नियमित रूप से निवेश करके, निवेश-लागत औसत कारक का लाभ उठा सकता है। चूंकि विभिन्न बाजार स्थितियों के दौरान निवेश किया जाता है, इसलिए निवेशक को बाजार में आ रहे उतार-चढ़ावों से लाभ मिलता है, क्योंकि जब बाजार में नरमी आती है तो निवेशक को उसी निधि (फंड) की अधिक यूनिट मिलती हैं और जब कीमतों में तेजी आती है तो निवेशक को उसी निधि (फंड) की कम यूनिट मिलती हैं।

निवेशक हर महीने या तिमाही में एक बार पहले से ही निर्धारित की गई निश्चित राशि का निवेश कर सकता है और यह राशि कम से कम 500 रुपये हो सकती है, जिसका भुगतान ग्राहक की सुविधा के अनुसार उत्तर दिनांकित (पोस्ट-डेटिड) चेक के माध्यम से, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (एसआई) सुविधा के माध्यम से या ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समशोधन सेवा) सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। निवेशकों को एक आवेदन फॉर्म और एसआईपी अनुदेश (मैनडेट) फॉर्म भरना होगा, जिस पर उन्हें एसआईपी तारीख के लिए अपनी पसंद बतानी होगी (यह बताना होगा कि पहले से ही निर्धारित की गई राशि का निवेश कब किया जाएगा)। बाद के एसआईपी या तो स्थायी अनुदेश के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से अपने-आप कटते रहेंगे (ऑटो-डेबिट होते रहेंगे) या फिर उनके लिए उत्तर दिनांकित (पोस्ट-डेटिड) चेक दिए जा सकते हैं।

एसआईपी के फायदे



निवेशकों के लिए निवेश की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों को ये विकल्प भी देते हैं:



कमोडिटी व्युत्पन्नी बाजार

कमोडिटी क्या हैं ?

कमोडिटी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कुछ आर्थिक मूल्य होता है । वे पृथ्वी से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक उत्पाद हैं जिनका बड़ी मात्रा में उत्पादन और व्यापार होता है । वे आम तौर पर कच्चा माल होते हैं । मोटे तौर पर कमोडिटी निम्न प्रकार की होती हैं:

- कृषि कमोडिटी : खाद्य और खाद्येतर फसलें
- गैर-कृषि कमोडिटी: धातु, ऊर्जा, पॉलिमर आदि
- अन्य: मवेशी, प्रसंस्कृत (तैयार) खाद्य पदार्थ जैसे रस आदि ।

मुख्य कमोडिटियाँ इस प्रकार हैं:

खाद्य तिलहन	मूँगफली, सरसों के बीज, बिनौला, सोया तेल, कच्चे ताड़ का तेल, आदि
खाद्यान्न	गेहूँ, चना, बाजरा (छोटे अनाज), मक्का, आदि
बुलियन	सोना, चाँदी
धातुएँ एवं ऊर्जा	प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, तांबा, जस्ता (जिंक), एल्युमीनियम, सीसा, निकल, स्टील, आदि
मसाले	हल्दी, काली मिर्च, जीरा, इलायची आदि
रेशे	कपास, जूट, आदि
अन्य	अरंडी के बीज, ग्वार के बीज (ग्वारफली), ग्वार का गोंद, रबड़ आदि

कमोडिटी कीमत जोखिम क्या होता है ?

कमोडिटी कीमत जोखिम कीमत की अनिश्चितता होती है जो उन लोगों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जो कमोडिटी का उपयोग करते हैं और उनका उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही स्टील की कीमत बढ़ जाती है, इससे ऑटोमोबाइल उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और यह उत्पादक के लाभ मार्जिन को कम कर सकता है। इसी तरह, केवल उपयोगकर्ता को ही नहीं बल्कि कमोडिटी कीमत जोखिम कमोडिटी के उत्पादक को भी प्रभावित कर सकता है। यदि किसी फसल की कीमत किसी वर्ष कम रहती है, तो उस वर्ष किसान उस फसल को कम बोते हैं। अगर अगले वर्ष उसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो लाभ देने वाली फसल से लाभ कमाने का अवसर किसान के हाथ से निकल जाएगा। इसे ही कमोडिटी कीमत जोखिम कहा जाता है। कमोडिटी की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है - राजनीतिक और विनियामक बदलाव, मौसमों में बदलाव, तकनीक और बाजार की स्थिति।

विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है

विभिन्न हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को, विशेष रूप से किसानों को, कमोडिटी व्यापार (ट्रेडिंग) में कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे :

- कीमत में उतार-चढ़ाव और कीमत जोखिम
- अच्छी भंडारण सुविधाओं का अभाव
- फसलों की बुआई के समय पैसों की जरूरत
- अपनी फसल बेचने के लिए स्थानीय बिचौलियों और एजेंटों पर निर्भरता
- कम माल (होलिडिंग्स) होने की वजह से मोल-भाव न कर पाना
- मंडियों में कीमतों का पता न चलना / कीमतों में हेरफेर

कमोडिटी में कीमत जोखिम से कैसे बचें ?

कमोडिटी के उत्पादक को कीमतें कम होने का खतरा होता है। इसके विपरीत, कमोडिटी के उपभोक्ता को कीमतें बढ़ने का खतरा होता है। कमोडिटी के उत्पादक और उपभोक्ता कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज के जरिए लेनदेन करके कीमतों में हो सकने वाले प्रतिकूल घट-बढ़ के जोखिम से बच सकते हैं। वित्तीय हानि या कीमत जोखिम से बचने की प्रक्रिया को "हैजिंग" कहा जाता है। हैज उपभोक्ता को एक निर्धारित कीमत पर अपेक्षित कमोडिटी की आपूर्ति की और उत्पादक को उसके कमोडिटी उत्पाद की एक ज्ञात कीमत की गारंटी देगा।

कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज के लाभ:

कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज उत्पादकों और उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ देता है:

- **कीमत निर्धारण:** भविष्य में किसी तारीख को कीमत-निर्धारण करने के संबंध में उत्पादकों / विक्रेताओं और उपभोक्ताओं / खरीदारों और कमोडिटी के निर्यातकों और आयातकों की सहायता करता है; और उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करता है।
- **कीमत जोखिम प्रबंधन:** कीमत जोखिम को हैज करने में सहायता या कीमत में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है तथा लाभ मार्जिन को तय कर देता है।

कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज:

कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज एक संगठित, विनियमित बाजार है जो ऐसी संविदाओं की खरीद और बिक्री की सुविधा देता है जिनके मूल्य कमोडिटी (जैसे, गेहूँ, जौ, कच्चा तेल, सोना आदि) की कीमतों से जुड़े होते हैं।

आमतौर पर, इन संविदाओं के खरीदार भविष्य की तारीख में निर्धारित कीमत पर कमोडिटी की सुपुर्दगी (डिलीवरी) स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं, और इसी तरह, विक्रेता भविष्य की तारीख में निर्धारित कीमत पर कमोडिटी की सुपुर्दगी (डिलीवरी) देने के लिए सहमत होते हैं ।

उदाहरण के लिए, कृषि कमोडिटियों के मामले में, कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज भविष्य में सुपुर्द (डिलीवर) की जाने वाली फसल के लिए कीमत का निर्धारण आज (अर्थात् फसल की बुआई या फसल की कटाई के समय) ही करने में सहायता करता है और इससे किसानों (फसल के विक्रेता) और उपभोक्ताओं (फसल के खरीदार / खाद्य प्रोसेसर) के लिए कीमत जोखिम कम करने में सहायता मिलती है । एक्सचेंज में लेनदेन कमोडिटी दलालों (ब्रोकर) के माध्यम से किया जाता है । खरीदने और बेचने संबंधी संविदा के निपटान की गारंटी कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज द्वारा दी जाती है ।

मान्यताप्राप्त कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज और कमोडिटी दलालों (ब्रोकर्स) के व्यापारिक नियमों (ट्रेडिंग रूल्स) और प्रक्रियाओं का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है । सेबी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत की गई है । भारत के प्रमुख कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंज हैं :

- **मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (एमसीएक्स)** - इस एक्सचेंज में मुख्य रूप से गैर-कृषि उत्पादों जैसे सोना, चाँदी, एल्यूमीनियम, तांबा, निकल, सीसा, जस्ता (जिंक) और ऊर्जा उत्पादों जैसे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार (ट्रेड) होता है ।
- **नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, मुंबई (एनसीडीईएक्स)** - इस एक्सचेंज में मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे दाल, अनाज, चीनी आदि का व्यापार (ट्रेड) होता है ।

कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाजार में तीन तरह की संविदाएँ (कॉन्ट्रैक्ट) होती हैं - अग्रिम संविदा (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट), वायदा संविदा (फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट) और ऑप्शन्स । अग्रिम संविदा (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) भविष्य में एक नियत कीमत पर एक निश्चित कमोडिटी को बेचने या खरीदने के लिए दो पक्षों के बीच किया गया करार है । यह संविदा कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को खरीदार के लिए हैज करती है और विक्रेता को निर्धारित तारीख को अपने उत्पाद के लिए निश्चित कीमत की गारंटी मिल सकती है ।

उदाहरण के लिए, यदि "क" के पास ऐसी मशीन है जो कपास की 10 गठरियों को तैयार करती है, तो वह "ख" के साथ एक वर्ष के बाद नियत कीमत पर कपास की गठरियों को बेचने का करार कर सकता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वर्तमान में उसकी क्या कीमत है । इसे जोखिम को हैज करना कहा जाता है । "क" ने नियत कीमत पर करार करके अपने जोखिम को हैज कर लिया और "ख" नियत कीमत पर पहले से ही करार करके यह उम्मीद करता है कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उसे लाभ होगा । भुगतान और आस्ति की सुपुर्दगी (डिलीवरी) भविष्य में निर्धारित की गई तारीख को की जाती है, जिसे सुपुर्दगी (डिलीवरी) की तारीख कहा जाता है । वायदा संविदा में खरीदार के पास लांग पोजीशन होती है, तो वहीं विक्रेता के पास शार्ट पोजीशन ।

अग्रिम संविदाओं (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) का व्यापार (ट्रेड) काउंटर पर किया जाता है, जबकि वायदा संविदाओं का व्यापार (ट्रेड) कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) एक्सचेंजों में किया जाता है । अग्रिम संविदाओं (फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट) में व्यक्तिगत तौर पर मोल-भाव किया जा सकता है । वायदा संविदाओं (फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट) में निष्पादन का एक मानकीकृत तरीका होता है और लेनदेन की गारंटी मान्यताप्राप्त कमोडिटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज के समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) द्वारा दी जाती है, जिससे लेनदेन के निपटान में हो सकने वाली चूक का जोखिम कम होता है ।

ऑप्शन्स संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) का अर्थ ऐसे वित्तीय लिखत (इन्स्ट्रूमेंट) से है जो ऑप्शन के खरीदार को यह अधिकार देता है कि वह पूर्व-निर्धारित तारीख को पूर्व-निर्धारित कीमत पर ऑप्शन का उपयोग कर सके, लेकिन ऑप्शन का उपयोग करने के लिए वह बाध्य नहीं है। ऑप्शन्स दो प्रकार के होते हैं :

- **कॉल ऑप्शन** : कॉल ऑप्शन अंडरलाइंग प्रतिभूति को खरीदने का अधिकार देता है
- **पुट ऑप्शन** : पुट ऑप्शन अंडरलाइंग प्रतिभूति को बेचने का अधिकार देता है

निवेशक जब ऑप्शन्स कॉण्ट्रैक्ट खरीदते हैं तो उनसे प्रीमियम लिया जाता है। कॉण्ट्रैक्ट की समाप्ति हो जाने पर, आम तौर पर निपटान (सेटलमेंट) नकद में ही किया जाता है, जबकि नकदी बाजार में अंडरलाइंग प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) को वास्तव में खरीदना / बेचना पड़ता है। इसलिए, कई निवेशकों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन्स (एफएंडओ) में व्यापार (ट्रेड) करना सस्ता लगता है, हालाँकि, यह नकदी खंड की तुलना में अधिक जोखिम भरा है क्योंकि एफएंडओ समय पर निर्भर होता है और आप कॉण्ट्रैक्ट में मनचाहे समय तक बने नहीं रह सकते, अर्थात् आपके पास मुनाफा कमाने तक रुकने का विकल्प नहीं होता। संविदा (कॉण्ट्रैक्ट) की समाप्ति पर, भले ही आप सुपुर्दगी (डिलीवरी) लेने की बजाय संविदा का निपटान नकद में करते हैं, तो भी अंडरलाइंग के मूल्य में आए बदलाव या तो आपके खाते में जमा कर दिए जाएँगे या फिर आपके खाते से निकाल लिए जाएँगे।

कोई किसान कमोडिटी व्युत्पन्नी बाजार (डेरिवेटिव मार्केट) में व्यापार (ट्रेडिंग) कैसे कर सकता है ?

- जो किसान व्युत्पन्नी बाजार (डेरिवेटिव मार्केट) की कानून अपेक्षाओं / लॉजिस्टिक्स संबंधी अपेक्षाओं / गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा कर पाते हैं उन्हें एक सोसाइटी / न्यास (ट्रस्ट) / किसान उत्पादक संगठन (फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गनाइजेशन / एफपीओ) आदि का गठन करना होगा।
- उन्हें सामूहिक रूप से अपने उत्पाद एक्सचेंज के माल-गोदाम (वेयरहाउस) में जमा कराने होंगे।
- मानकीकृत किए जाने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता का निर्धारण (जाँच / परीक्षण) एक्सचेंज से मान्यताप्राप्त निर्धारक (असैयर) द्वारा किया जाएगा।
- एक्सचेंज माल-गोदाम रसीद (वेयरहाउस रिसीट) जारी करेगा (इन रसीदों की एवज में बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सकता है)। एक निश्चित अवधि तक उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी एक्सचेंजों की होती है।
- अब जमाकर्ताओं के पास ऐसी कीमत (एक्सचेंज में) पता लगाने का समय होता है, जिस पर वे अपने उत्पाद को बेचकर लाभ कमा सकें।
- जब वांछित कीमत मिलने की संभावना होती है, तो एक्सचेंज में बोली लगाई जाती है। जब ऑर्डर खरीदार की बोली के साथ मेल खाता है, तो सौदा (ट्रेड) हो जाता है।
- किसानों को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर सुपुर्दगी (डिलीवरी) देनी पड़ती है।
- कमोडिटी की संतोषजनक सुपुर्दगी (डिलीवरी) हो जाने के बाद ही किसानों को पैसे दिए जाते हैं।

[प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने / ट्रेडिंग करने हेतु क्या करें और क्या न करें]

क्या करें

- प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़) में निवेश करने के बारे में आप सेबी से रजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।
- निवेश करने के अपने उद्देश्य और जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी स्कीम / उत्पाद (प्रोडक्ट) में निवेश करें।
- लेनदेन होने के 24 घंटों के भीतर, किए गए सौदों हेतु विधिमान्य संविदा नोट (कॉण्ट्रैक्ट नोट) / पुष्टि-ज्ञापन (कन्फर्मेशन मेमो) जरूर प्राप्त कर लें। अपने डीमैट खाते में अपने पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से नज़र रखें।
- हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

- अपने खातों पर लागू सभी प्रभारों / फीस / दलाली (ब्रोकेज) के बारे में पूरी जानकारी रखें और उनका रिकॉर्ड रखें ।
- हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों, खाता विवरणों, प्राप्त कॉण्ट्रैक्ट नोट और किए गए भुगतानों का रिकॉर्ड रखें ।
- समय-समय पर अपनी वित्त संबंधी जरूरतों / लक्ष्यों की समीक्षा करें और अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, ताकि यह पता चलता रहे कि मौजूदा पोर्टफोलियो से वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करना / लक्ष्यों को पाना संभव है या नहीं ।
- अपने सौदों के लिए हमेशा बैंकिंग चैनल से ही भुगतान करें, अर्थात् नकद में लेनदेन न करें ।
- अपने बारे में दी गई जानकारी को हमेशा अद्यतन रखें । जब कभी आपके पते या बैंक संबंधी ब्यौरों या ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर में बदलाव हो, तो अपने स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) को सूचित करें । चूंकि अब सिम कार्ड विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास पोर्ट कराए जा सकते हैं, इसलिए निवेशक अपने संबंधित खातों के साथ एक ही मोबाइल नंबर जोड़ कर रख सकते हैं । (सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों में मोबाइल नंबर सबसे अहम होता है)
- अपने सभी निवेशों के लिए नामांकन करवाकर रखें । डीमैट खातों में एक से अधिक नामांकन करवाए जाने की अनुमति है ।
- समय-समय पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट की जाँच-पड़ताल और समीक्षा करें ।
- हर रोज किए गए सौदों (ट्रेड) के संबंध में एक्सचेंज की ओर से मिलने वाले एसएमएस और ई-मेल हमेशा देखते रहें ।
- व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) के पास रखे गए निवेशकों के पैसों (निधियों) और प्रतिभूतियों के संबंध में एक्सचेंज की ओर से मिलने वाले मासिक एसएमएस और ई-मेल नियमित रूप से देखते रहें ।

क्या न करें

- निवेश करने के लिए उधार न लें ।
- अरजिस्ट्रीकृत दलालों (ब्रोकर) / अन्य अरजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के साथ लेनदेन (डील) न करें ।
- मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) को निर्धारित दलाली (ब्रोकेज) / प्रभारों से अधिक का भुगतान न करें ।
- किसी भी दस्तावेज की शर्तों आदि को पूरी तरह समझे बिना मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के साथ किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर आदि न करें ।
- किसी भी फॉर्म या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप को भरे बिना उस पर हस्ताक्षर न करें ।
- स्टॉक दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) को साधारण मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) न दें । यदि आप देना भी चाहते हैं, तो पूरी सावधानी बरतते हुए कि किसी खास मकसद के लिए ही दें ।
- विवाद होने की दशा में, मुनासिब समय के अंदर-अंदर, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) / स्टॉक एक्सचेंज / सेबी के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाएँ ।
- डब्बा ट्रेडिंग गैर-कानूनी है । भले ही आपको ऐसा लगे कि आपका कुछ पैसा बच रहा है, तब भी इसमें शरीक न हों क्योंकि न तो ऐसा करना सुरक्षित है और न ही सौदों की कोई गारंटी होती है, जबकि स्टॉक एक्सचेंजों में आपको पूरी गारंटी मिलती है । देखा जाए तो डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से अनधिकृत तरीके से होती है और जहाँ ट्रेडर (जो शेयरों आदि की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर सट्टा लगाते हैं) आपस में सीधे नकद में ही लेनदेन करते हैं ।
- निवेश के संबंध में निर्णय लेते समय लुभावते टिप्स पर भरोसा न करें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे टिप देने में वह व्यक्ति शामिल हो जिसके पास ऐसी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) पड़ी हों जो बाजार में बिक न रही हों और वह उन्हें बेचना चाह रहा हो । लुभावते टिप्स देना गैर-कानूनी भी होता है और जिसकी जानकारी सेबी को दी जानी चाहिए ।
- कभी भी अपने ऑन-लाइन खाते का पासवर्ड किसी को न बताएँ । पासवर्ड बार-बार जरूर बदलते रहें ।
- पोंज़ी स्कीमों, अरजिस्ट्रीकृत चिट फंडों, अरजिस्ट्रीकृत सामूहिक निवेश स्कीमों (कलैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम) या अरजिस्ट्रीकृत जमा स्कीमों (डिपॉजिट स्कीम) के झाँसे में न आएँ ।
- अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) दस्तावेजों में खाली स्थानों को काटना न भूलें ।
- यदि आप कम्प्यूटर नहीं जानते, तो डिजिटल कॉण्ट्रैक्ट का विकल्प न चुनें ।

अध्याय 6 - बीमा संबंधी उत्पाद

बीमा

बीमा व्यक्तियों, कारोबारियों और अन्य एंटीटियों को बड़े-बड़े नुकसान और आर्थिक तंगी से काफी किफायती लागत पर बचाता है। बीमा जोखिम प्रबंधन का ही एक रूप है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से भविष्य में हो सकने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बीमा भविष्य में हो सकने वाले नुकसान की भरपाई का वादा है, जिसमें समय-समय पर प्रीमियम अदा करना होता है। बीमा देने वाली एंटीटी को बीमाकर्ता के नाम से जाना जाता है। बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को बीमाधारक या पॉलिसीधारक के नाम से जाना जाता है। बीमाधारक को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होता है जिसे बीमा पॉलिसी कहा जाता है जिसमें उन अवस्थाओं और परिस्थितियों के विवरण दिए जाते हैं जिनके तहत बीमाधारक को मुआवजा दिया जाएगा, इसके साथ-साथ बीमा पॉलिसी से संबंधित अन्य ब्यौरे भी इसमें दिए जाते हैं।



बीमा पॉलिसियों को आम तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है:

योजना और मुख्य विशेषताएँ
जीवन बीमा - टर्म इश्योरेंस <ul style="list-style-type: none"> - पॉलिसी की अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, आपके नामितियों (नॉमिनी) को उतनी राशि ('सम एश्योर्ड') मिलेगी, जो आपने प्लान खरीदते समय चुनी थी। - एक निश्चित समय (जिसे आम तौर पर "टर्म" कहा जाता है) तक ही प्रभावी।
जीवन बीमा - एन्डोमेंट इश्योरेंस <ul style="list-style-type: none"> - जीवन बीमा का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत एकनिश्चित अवधि के बाद (पॉलिसी के 'परिपक्व' हो जाने पर) या बीमाधारक की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त रकम का भुगतान किया जाता है। - आम तौर पर बीमा पॉलिसी की परिपक्वता की यह अवधि (निश्चित आयु सीमा तक) दस, पंद्रह या बीस वर्ष की होती है। कुछ पॉलिसी में गंभीर बीमारी होने पर भी भुगतान किया जाता है।
जीवन बीमा - पूरी जिन्दगी <ul style="list-style-type: none"> - इस तरह का बीमा पूरी जिन्दगी चलता है, जब तक आप प्रीमियम का भुगतान करते रहते हैं।
जीवन बीमा - यूनिट लिंक्ड बीमा <ul style="list-style-type: none"> - बीमा और निवेश माध्यम का मिश्रण - पॉलिसीधारक द्वारा अदा किए गए प्रीमियम के एक हिस्से का उपयोग पॉलिसीधारक को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किया जाता है और बचे हुए हिस्से से इक्विटी और ऋण लिखतों में निवेश किया जाता है।
व्यक्तिगत दुर्घटना कवर पॉलिसी <ul style="list-style-type: none"> - ऐसी बीमा योजना, जिसमें शारीरिक क्षति पहुँचने पर या विकलांग हो जाने पर या दुर्घटना से मृत्यु होने पर ही मुआवजा मिलता है।
स्वास्थ्य बीमा <ul style="list-style-type: none"> - ऐसा बीमा जो बीमाधारक की चिकित्सा और शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) पर होने वाले खर्चों को कवर करता है। - "बीमाधारक" स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का स्वामी है या स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने वाला व्यक्ति है।
मोटर बीमा <ul style="list-style-type: none"> - इसे वाहन बीमा, कार बीमा या ऑटो बीमा के नाम से भी जाना जाता है। - इसमें कारों, ट्रक, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों का बीमा किया जाता है।
यात्रा बीमा <ul style="list-style-type: none"> - यात्रा जोखिमों जैसे सामान का खो जाना या चोरी हो जाना, यात्रा पर न जा पाने संबंधी कवर (जब आप अप्रत्याशित चिकित्सा कारणों से यात्रा करने में सक्षम न हों) और सबसे जरूरी, विदेश में होने वाले अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के लिए बीमा।

- किसी व्यापक यात्रा बीमा पॉलिसी में शामिल होगा :
- आपातकालीन चिकित्सा कवर
- अप्रत्याशित स्थिति में यात्रा पर न जा पाने के कारण होने वाले नुकसान या यात्रा को अधूरी छोड़ने से होने वाले नुकसान
- मृत्यु और विकलांगता कवर
- व्यक्तिगत देनदारी संबंधी कवर
- सामान संबंधी कवर

संपत्ति का बीमा

- इस पॉलिसी के तहत किसी ढांचे (स्ट्रक्चर) और उसके किसी कंटेंट का नुकसान हो जाने पर या उसके चोरी हो जाने पर उसके मालिक या किरायेदार को भरपाई की जाती है ।
- संपत्ति के बीमा में मकान मालिक का बीमा, किरायेदार का बीमा, बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा और भूकंप से होने वाले नुकसान का बीमा शामिल है ।

सामूहिक बीमा

- सामूहिक बीमा वह बीमा है जिसमें लोगों के निर्धारित समूह को कवर किया जाता है, जैसे किसी सोसाइटी या पेशेवर असोसिएशन के सदस्य, या किसी विशेष नियोक्ता के कर्मचारी ।

आईआरडीएआई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) की भूमिका

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है। इसका उद्देश्य है - बीमा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना ।

अध्याय 7 - पेंशन, सेवानिवृत्ति और धन-संपत्ति (इस्टेट) के संबंध में योजना(प्लानिंग)


पेंशन सेवाएँ

पेंशन का उल्लेख एक नियमित भुगतान के रूप में किया जा सकता है, जिसे कोई भी व्यक्ति तब नियमित रूप से प्राप्त करने की इच्छा करता है, जब वह अपने नियमित व्यवसाय / नौकरी से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो जाता है या जब वह ऐसी उम्र तक पहुँच जाता है, जिसके बाद वह काम नहीं करना चाहता। पेंशन योजना वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। सेवानिवृत्ति योजना यह सुनिश्चित करती है कि लोग अपनी वृद्धावस्था में स्वाभिमान के साथ और अपने जीवन स्तर के साथ समझौता किए बिना रहें। पेंशन योजनाएँ निवेश के जरिये पैसा बचाने और सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी योजना (अन्यूइटी) के माध्यम से नियमित आय के रूप में एकमुश्त राशि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं।

पेंशन भोगी होना:

- पेंशन के लिए अलग से खाता खोलने की कोई आवश्यकता नहीं।
- पेंशन पाने के लिए मौजूदा खाते का उपयोग किया जा सकता है।
- पेंशन खाता किसी दूसरी शाखा या दूसरे बैंक में अंतरित किया जा सकता है।
हर वर्ष नवम्बर महीने में अपनी बैंक शाखा में "जीवन प्रमाणपत्र" जमा कराना याद रखें
- 'जीवन प्रमाण' – www.jeevanpramaan.gov.in पर आधार और मोबाइल का उपयोग करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

वृद्धों / बीमार / अक्षम व्यक्तियों के लिए बैंक खाते का संचालन



राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

एनपीएस का उद्देश्य पेंशन क्षेत्र में सुधार लाना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत डालना है। 1 मई, 2009 से एनपीएस, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित, देश के सभी नागरिकों के लिए वैश्विक आधार पर उपलब्ध है। एनपीएस लेनेवाले को एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) आवंटित किया जाएगा। एनपीएस लेनेवाले की पूरी जिन्दगी में यह विशिष्ट खाता संख्या एक ही रहेगी। इस विशिष्ट पीआरएएन का उपयोग भारत के किसी भी स्थान से किया जा सकता है। एनपीएस, 18-60 आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना है।

पीआरएएन से दो व्यक्तिगत खाते जुड़े होते हैं - टियर-I और टियर-II, जिनकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

विवरण	टियर-I (पेंशन खाता)	टियर-II (निवेश खाता)
पात्रता	सभी भारतीय नागरिक	कोई व्यक्ति जिस के पास टियर-I का सक्रिय खाता हो।
बैंक खाता	अनिवार्य नहीं	अनिवार्य
अर्थ सुलभता (लिक्विडिटी)	निर्धारित शर्तों के तहत पेंशन खाते से कुछ पैसे निकालने की अनुमति है।	एनपीएस लेनेवाला जब चाहे इस खाते से अपनी बचत का पैसा निकाल सकता है।
निधि अंतरण (फंड ट्रांसफर)	संभव नहीं	टियर-II खाते से टियर-I खाते में पैसों का अंतरण किया जा सकता है।
कर लाभ	इस खाते में किए जाने वाले निवेश कर लाभ हेतु पात्र हैं।	इस खाते में किए जाने वाले निवेश कर लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

एनपीएस के तहत निवेश के विकल्प

एनपीएस लेनेवाले वह निवेश विकल्प चुनते हैं जिसमें उनके द्वारा लगाई गई राशि का निवेश किया जाना होता है। एनपीएस द्वारा निम्नलिखित विकल्पों की पेशकश की जाती है :

ई (इक्विटी) : अधिक मुनाफा (रिटर्न), अधिक जोखिम वाला विकल्प - इसमें निधि (फंड) द्वारा मुख्य रूप से इक्विटी-उन्मुख निवेशों में निवेश किया जाता है।

सी (कंपनी बॉण्ड) : मध्यम मुनाफा (रिटर्न), मध्यम जोखिम वाला विकल्प - इसमें निधि (फंड) द्वारा मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न) में निवेश किया जाता है।




जी (सरकारी प्रतिभूतियाँ) : कम मुनाफा (रिटर्न), कम जोखिम वाला विकल्प - इसमें निधि (फंड) द्वारा मुख्य रूप से बिल्कुल कम जोखिम वाली सरकारी निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (फिक्सड इनकम सिक्यूरिटीज़) में निवेश किया जाता है।

ए (आनुकल्पिक निवेश) : अधिक जोखिम और अधिक मुनाफे वाला विकल्प - निधि (फंड) द्वारा आनुकल्पिक निवेश स्कीमों (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्कीम) में निवेश किया जाता है, जिनमें शामिल हैं - सीएमबीएस (वाणिज्यिक बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ / कमर्शियल मॉर्गेज-बैकड सिक्यूरिटीज़), एमबीएस (बंधक-समर्थित प्रतिभूति / मॉर्गेज-बैकड सिक्यूरिटीज़), आरआईआईटीएस (रियल इस्टेट निवेश न्यास), एआईएफएस (आनुकल्पिक निवेश निधियाँ / ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड), आईएनवीआईटीएस (अवसंरचना निवेश निधि / इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड) आदि। टियर-II खाते के तहत खातों में जमा की गई राशि संबंधी निवेश के लिए आस्ति की यह श्रेणी उपलब्ध नहीं है।

'एक्टिव चॉइस' का विकल्प - एनपीएस लेनेवाला प्रत्येक निवेश-विकल्प के लिए अपनी निधियों के उस अनुपात को चुन सकता है जिसमें निवेश किया जा सकता है। इसे 'एक्टिव चॉइस' का विकल्प कहा जाता है। इस विकल्प में एकमात्र प्रतिबंध यह है कि आस्ति श्रेणी ई में 75 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं किया जा सकता और आस्ति श्रेणी ए में यह प्रतिबंध 5 प्रतिशत तक का है।

'ऑटो चॉइस' का विकल्प - इस चुनाव के तहत एनपीएस लेनेवाले द्वारा लगाई गई राशि का निवेश जीवन चक्र निधि (लाइफ साइकिल फंड) में किया जाएगा। लाइफ साइकिल फंड के तहत एनपीएस लेनेवाले की आयु के हिसाब से निर्धारित किए गए निश्चित अनुपात में ही विभिन्न आस्ति श्रेणियों में एनपीएस लेनेवाले के पैसे को लगाया जाता है। एनपीएस लेनेवाले की बढ़ती उम्र के साथ-साथ इक्विटी में उनका निवेश घटता जाता है और सुरक्षित कंपनी बॉण्डों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में उनका निवेश बढ़ता जाता है।

एनपीएस से बाहर निकलना

<p>मियाद पूरी करने की पाबंदी टियर-I खाते में, समय से पहले खाता बंद (फॉरक्लोज़र) किए बिना कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता</p>		
		
<p>60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले</p>	<p>आयु जब 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच हो</p>	<p>मृत्यु के बाद</p>
<p>निधि (फंड) का 20% तक ही निकाला जा सकता है, बाकी का 80% जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी (अन्युइटी) खरीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा</p>	<p>निधि (फंड) का 60% तक ही निकाला जा सकता है, कम से कम 40% का इस्तेमाल अनुमोदित जीवन बीमा कंपनी से वार्षिकी (अन्युइटी) खरीदने के लिए करना होगा</p>	<p>एनपीएस में पैसा लगाने वाले की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका नामिती (नॉमिनी) एक बार में ही पूरा पैसा निकाल सकता है</p>

पेंशन खंड में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की भूमिका :

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक विनियामक निकाय (रिग्युलेटरी बॉडी) है, जिसकी स्थापना भारत में पेंशन क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए की गई है ।

सेवानिवृत्ति योजना

सेवानिवृत्ति किसी व्यक्ति के जीवन का एक खास पड़ाव होती है, और जहाँ से उसकी जिंदगी एक नई करवट लेती है । फिर भी, सेवानिवृत्ति के संबंध में शायद ही कभी इस प्रकार की योजना बनाई जाती है या इस प्रकार विचार किया जाता है जैसा वास्तव में किया जाना चाहिए । सेवानिवृत्ति के बाद हर कोई आराम से जीवन गुजारना चाहता है, पर शायद पर्याप्त योजना के बिना ऐसा किया जाना संभव नहीं है ।

सेवानिवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

जल्दी शुरुआत करें और वित्तीय सुरक्षा के साथ सेवानिवृत्त हों : यदि आप 25 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना शुरू करते हैं, और आप 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, तो आप 35 वर्षों तक निवेश कर सकते हैं ।

समझदारी से योजना बनाएँ : सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा संबंधी खर्चों और आकस्मिक जरूरतों के लिए कुछ पैसे अलग से बचाकर रखें । अपनी बचत में से कुछ रकम बच्चों की शिक्षा और शादी जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों के लिए अलग रखें ।

अपनी योजना पर नजर रखें और उसकी समीक्षा करते रहें : समय-समय पर वित्तीय योजना की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि योजना से उद्देश्य पूरे हो पाएंगे या नहीं । इसके अलावा, आपको अपने निवेशों से संबंधित जोखिम, लागत और अर्थ सुलभता के बारे में भी पता होना चाहिए और उनके प्रति आपका रवैया सहज होना चाहिए ।

अपनी सेवानिवृत्ति संबंधी बचतों में कमी न करें : सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत का इस्तेमाल सेवानिवृत्ति से पहले न करें । यदि आप अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सेवानिवृत्ति कोष से पैसा खर्च कर देते हैं, तो आपको आने वाले समय में बहुत अधिक नुकसान होगा । आपकी सेवानिवृत्ति के लिए रखा गया पैसा कम हो जाएगा ।

धन-संपत्ति (इस्टेट) के संबंध में योजना :

संपदा (इस्टेट) योजना किसी व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान बनाई जाने वाली योजना है, जिसके जरिए लाभार्थियों (जो आम तौर पर परिवार के सदस्य, प्रियजन और संस्थाएँ होती हैं) के बीच उस व्यक्ति की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद लाभार्थी आसानी से और बिना किसी बड़ी लागत के उसका उपयोग कर सकें / उस पर दावा कर सकें । “वसीयत” बनाना संपदा (इस्टेट) योजना का एक अहम हिस्सा है । संपदा (इस्टेट) योजना संबंधी टूल आपको जीते जी ही आपकी संपत्ति की व्यवस्था



करने में सक्षम बनाते हैं, ताकि आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आपकी आस्तियों के अंतरण की व्यवस्था करने में आसानी हो। संपदा (इस्टेट) योजना के घटक निम्नानुसार हैं:

वसीयत:

यह एक लिखित कानूनी घोषणा है, जिसमें वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आस्तियों का बँटवारा करने संबंधी उसकी इच्छाएँ शामिल होती हैं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार अपने प्रियजनों को आस्तियाँ अंतरित कर सकता है। वसीयत बनाने से, आस्तियों के बँटवारे के संबंध में लाभार्थियों के बीच होने वाले किसी भी विवाद से बचा जा सकता है। वसीयत बनाना एक आसान प्रक्रिया है।

कैसे बनाएँ वसीयत ?

- चल और अचल वस्तुओं की एक सूची बनाएं।
- यह तय करें कि कौन सी चीज किसे दी जाएगी (फिर चाहे वह आंशिक रूप से हो या पूरी तरह से)
- वसीयत का निष्पादन (को एग्जिक्यूट) करने वाले व्यक्ति के नाम और ब्यौरों का उल्लेख करें।
- यदि हो सके तो, गवाह के रूप में वसीयत पर डॉक्टर और वकील के हस्ताक्षर ले लें क्योंकि इससे वसीयत को प्रामाणिकता मिलेगी।
- वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप उसे पंजीकृत करवा लें।
- आप वसीयत को सादे कागज पर लिख सकते हैं या वसीयत बनाने में अपने वकील की मदद ले सकते हैं।

वसीयत न होने पर जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे इस प्रकार हैं :

- संपत्ति आदि (असेट) का बँटवारा किस-किस के बीच होगा और कितना-कितना होगा, यह उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहते हैं।
- संपत्ति आदि (असेट) का बँटवारा हर समुदाय के कानूनी प्रावधानों (पर्सनल लॉ) / संबंधों के अनुसार होता है।
- लाभार्थियों और अन्य दावेदारों को मुकदमे लड़ने में काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
- उत्तराधिकार के विवादों को सुलझाने में वर्षों लग सकते हैं और जिनमें काफी पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ तक कि विवाद न होने पर भी, प्रक्रिया में काफी खर्चा हो सकता है और जिससे विरासत में मिलने वाली संपत्तियों आदि से उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए।

नामांकन:

नामिती (नॉमिनी) वह व्यक्ति होता है जिसके पास खाताधारक की मृत्यु हो जाने के बाद उसके धन की अभिरक्षा (कस्टडी) अपने हाथों में लेने का अधिकार होता है। एक नामिती किसी आस्ति (असेट) के मालिक के पैसे का केवल संरक्षक (कस्टोडियन) होता है और उसके पास कोई मालिकाना हक नहीं होता। यदि नामांकन न किया गया हो, तो मृतक के कानूनी वारिसों को पैसा पाने की मशक्कत में न केवल काफी समय निकल सकता है, बल्कि उन्हें उसके लिए काफी खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। क्या डीमैट खाते के मामले में भी नामांकन अनिवार्य है? यह अनिवार्य तो नहीं है, किंतु नामांकन करने की सलाह दी जाती है; नामांकन खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर कानूनी उत्तराधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करता है। इसलिए कोई भी खाता खोलते समय नामांकन संबंधी ब्यौरे भरना हमेशा याद रखें।

उदाहरण के लिए, सुरेश मीयादी जमा (एफडी) में निवेश करता है और अपने दोस्त, रमेश को अपनी बैंक एफडी के नामिती के रूप में नामित करता है। सुरेश की मृत्यु हो जाने पर, रमेश को उसके नामिती के रूप में पैसे मिलते हैं। रमेश को इसके बाद सुरेश के कानूनी उत्तराधिकारियों को पूरी राशि अंतरित करनी चाहिए; नहीं तो उसके उत्तराधिकारी न्यायालय में उस राशि का दावा करेंगे।

मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी):

मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी अन्य व्यक्ति को आपकी ओर से कार्य करने की अनुमति देता है। मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि आप महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो उनके संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यवाही की जा सकती है जिस पर आप भरोसा करते हैं।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी और को आपकी ओर से वह कार्य करने का अधिकार दे सकते हैं। इस प्रकार की अनुमति के जरिए किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं - आपके बैंक खातों तक पहुँच रखना,

वाहन बेचना, संपत्ति खरीदना या आवास ऋण लेना । वास्तव में, आपका मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) आपके एजेंट को लगभग ऐसे सभी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने का अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें आप अपनी ओर से कर सकते हैं ।

जो व्यक्ति किसी एजेंट को अधिकार देता है, उसे प्रधान व्यक्ति (प्रिंसिपल) कहा जाता है, और प्रधान व्यक्ति (प्रिंसिपल) अपने एजेंट को शक्ति देने के लिए या तो साधारण मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) का इस्तेमाल कर सकता है या फिर विशेष मुख्तारनामा (स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी) का इस्तेमाल कर सकता है । [एजेंट का अर्थ है - वे लोग जिन्हें प्रधान व्यक्ति (प्रिंसिपल) की ओर से कार्यवाही करने के लिए प्रधान व्यक्ति (प्रिंसिपल) द्वारा शक्ति दी जाती है] । साधारण मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) एजेंट को ऐसे सब कार्य करने की शक्ति देता है, जो प्रधान व्यक्ति (प्रिंसिपल) कर सकता है, जबकि विशेष मुख्तारनामा (स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी) एजेंट को सीमित शक्तियाँ देता है, जैसे कि एक विशेष लेनदेन को पूरा करने की शक्ति ।

व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उस व्यक्ति के धन और आस्तियों को अंतरित करने की प्रक्रिया: किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मृतक की आस्तियों पर अपने दावे के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों [जैसे बैंक, निक्षेपागार (डिपॉजिटरी), पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड कंपनियाँ) और बीमा कंपनियाँ] से संपर्क करना पड़ता है । उन्हें मृतक की आस्तियों को अपने नाम पर अंतरित करवाने के लिए इन प्राधिकरणों के पास मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ-साथ कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है ।

यदि मृतक ने कोई वसीयत बनाई हो, तो मृतक की आस्तियों और धन का बँटवारा उसकी वसीयत के अनुसार किया जाएगा । वसीयत न होने पर, आस्तियों और धन का अंतरण केवल कानूनी उत्तराधिकारियों को ही किया जाएगा ।

शिकायत निवारण:

पेंशन क्षेत्र से संबंधित किसी शिकायत के निवारण के लिए, इस पुस्तिका का अध्याय १२ देखें ।

अध्याय 8 - उधार संबंधी उत्पाद

उधार का अर्थ है - धन लेना और उसे कुछ समय के बाद वापस करना। वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में, यदि बचत पर्याप्त न हो, तो व्यक्ति उधार लेता है। उधार लेने में आपको यह सहूलियत रहती है कि आप धीरे-धीरे छोटी-छोटी किस्तों में उधार चुका सकते हैं। उधार चुकाने का सबसे प्रचलित तरीका मासिक किस्त (ईएमआई) है



ऋण प्राप्त करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची :

- पहचान का सबूत : पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड (इनमें से कोई भी एक)।
- पते का सबूत : इजाजत और अनुज्ञप्ति करार (लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट) / बिल (जो 3 महीने से ज्यादा पुराना न हों) / पासपोर्ट (इनमें से कोई भी एक)।
- बैंक खाते के पिछले 3 महीने के विवरण (स्टेटमेंट) - (उस बैंक खाते के जिसमें वेतन या आय जमा की जाती है)।
- पिछले 3 महीनों की वेतन पर्ची।
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
- जमानत (कोलैटरल) एक ऐसी संपत्ति या आस्ति (असेट) होती है, जो उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा उधार देने वाले व्यक्ति के पास ऋण लेने के लिए जमानत के तौर पर रखी जाती है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति किए गए वादे के अनुसार ऋण नहीं चुका पाता, तो ऐसे में ऋण देने वाला व्यक्ति उस आस्ति को अपने कब्जे में ले सकता है जिसके लिए उसने पैसा दिया था और साथ ही वह जमानत के तौर पर रखी गई संपत्ति को भी जब्त कर सकता है, ताकि वह अपने नुकसान की भरपाई कर सके। उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा रखी गई जमानत पर उधारदाता के दावे को धारणाधिकार (लियन) कहा जाता है।

ऋणों के विभिन्न प्रकार

बैंकिंग संस्थाएँ व्यक्तियों और कारबार करने वालों को विभिन्न प्रकार के ऋण देती हैं, जो इस प्रकार हैं:

स्कीम और प्रमुख विशेषताएँ
निजी खर्चों हेतु ऋण (पर्सनल लोन) इस ऋण का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे ऋण का भुगतान, शादी के खर्च या घूमने-फिरने पर किए जाने वाला खर्च। इस प्रकार के ऋण के लिए किसी भी जमानत आदि की आवश्यकता नहीं होती।
वाहन ऋण यह ऋण निजी और व्यवसायिक उपयोगों के लिए नए या पुराने वाहन खरीदने के लिए दिया जाता है।
शिक्षा ऋण शिक्षा ऋण की आवश्यकता छात्रों और उनके परिवार को होती है ताकि वे उच्च शिक्षा के वित्तीय लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने से पहले यह आवश्यक है कि छात्र को किसी संस्था की ओर से दाखिले का प्रस्ताव मिला हो।
सोना गिरवी रखने पर ऋण स्वर्ण ऋण (गोल्ड लोन) बैंक या किसी अन्य उधार देने वाली संस्था द्वारा केवल तभी दिया जाता है जब स्वर्ण (सोने) को जमानत के रूप में रखा जाए।
आवास ऋण आवास ऋण मकान बनाने, मकान की मरम्मत / साज-सज्जा करवाने तथा मकान में और कमरे आदि बनवाने, संपत्ति या जमीन खरीदने आदि के लिए लिया जा सकता है।

कृषि ऋण
कृषि ऋण किसानों को दिया जाता है, ताकि वे कृषि से संबंधित गतिविधियाँ कर सकें या संबंधित गतिविधियाँ जैसे बागवानी, रेशम के कीड़ों का पालन (सेरीकल्चर), आदि कर सकें ।
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं हेतु ऋण
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं हेतु ऋण ऐसे ऋण होते हैं जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टेलीविज़न, फ्रिज आदि खरीदने के उद्देश्य से लिए जा सकते हैं ।

उधार लेने में मददगार 5 कारक - अपना ऋण मंजूर कराने के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें

आम तौर पर बैंक उधार लेने वालों के ऋण संबंधी निवेदनों को मंजूरी देते समय इस बात का ध्यान तो रखते ही हैं कि जोखिम कम से कम हों । इस प्रकार के विश्लेषण में बैंक पाँच कारकों पर विचार करते हैं, जो इस प्रकार हैं :

क्षमता: उधार देने वाला उधार देने से पहले यह जानना ही चाहेगा कि आप अपना ऋण कैसे चुकाएँगे और आपकी ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है ।

चरित्र: उधारदाता एक व्यक्तिपरक राय बनाएगा कि क्या ऋण चुकाने के संबंध में आप पर भरोसा किया जा सकता है या आपकी कंपनी में किए गए निवेश पर मुनाफा मिल पाएगा या नहीं ।

पूँजी: पूँजी वह धन है जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से कारोबार में निवेश किया हुआ है और जिससे यह पता चलता है कि कारोबार में घाटा हो जाने पर आपको कितना जोखिम उठाना पड़ेगा ।


जमानत: बैंक जो संपत्ति खरीदने के लिए ऋण देते हैं, उसके साथ-साथ कुछ और भी जमानत के तौर पर रखने के लिए जोर देते हैं ।

शर्तें आदि: बैंक ऋण लिए जाने के उद्देश्य का विश्लेषण करते हैं जैसे कि क्या पैसे का उपयोग कार्यशील पूँजी के तौर पर किया जाएगा, अतिरिक्त उपकरण या माल, आदि खरीदने के लिए किया जाएगा?

क्रेडिट स्कोर

ऋण आवेदन प्रक्रिया के दौरान निर्णय लेने में क्रेडिट (साख) सूचना एजेंसियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । जब कोई आवेदक आवेदन फॉर्म भरकर उधारदाता को सौंपता है, तो उधारदाता सबसे पहले आवेदक के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट की जाँच करता है । यदि क्रेडिट स्कोर कम आता है, तो उधारदाता आवेदन पर विचार तक नहीं करता और उसी समय आवेदन को नामंजूर कर देता है । यदि क्रेडिट स्कोर अधिक आता है, तो उधारदाता आवेदन के संबंध में आगे कार्यवाही करता है और यह देखने के लिए कि क्या आवेदक को उधार दिया जा सकता है अन्य विवरणों पर विचार करता है । उधार देने वाला सबसे पहले क्रेडिट स्कोर देखता है, आपका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा होगा आपकी ऋण पाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी । ऋण देने का निर्णय पूरी तरह से उधारदाता पर निर्भर करता है और क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट किसी भी तरीके से यह तय नहीं करती कि ऋण या क्रेडिट कार्ड को मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं ।

भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड [क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड] (सिबिल) भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी है, जिसे आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है । सिबिल व्यक्तियों और गैर-व्यक्तियों (व्यवसायिक एंटिटियों) द्वारा ऋण और क्रेडिट कार्ड के संबंध में किए जाने वाले भुगतानों का रिकॉर्ड रखता है । ये रिकॉर्ड हर महीने बैंकों और अन्य उधारदाताओं द्वारा सिबिल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं; इस जानकारी के आधार पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (सीआईआर) और क्रेडिट स्कोर तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग करके उधारदाता ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करते हैं और मंजूरी प्रदान करते हैं । क्रेडिट ब्यूरो को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और यह प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 [क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ (रेग्यूलेशन) एक्ट, 2005] के अनुसार कार्य करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक सभी क्रेडिट ब्यूरो से यह अपेक्षा करता है कि वे सभी उपभोक्ताओं को हर साल एक पूरी क्रेडिट रिपोर्ट नि:शुल्क दें ।



“कर्ज के जाल” से कैसे बचें

उपाय 01: यदि आपकी मानसिकता सही हो और आप अनुशासनप्रिय हों, तो आप ऋण चुका सकते हैं। उतना ही पैर फैलाएँ जितनी की चादर हो। गैर-जरूरी “ख्वाहिशों” को पूरा करने के चक्कर में न पड़ें।

उपाय 02: यदि आपको कर्ज अधिक समय के लिए मिले, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप उसकी चुकौती में भी उतना ही समय लगाएँ।

उपाय 03: यह समझ लें कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल सुविधाजनक रूप से भुगतान करने के लिए है न कि उधार लेने के लिए।

उपाय 04: कभी भी क्रेडिट कार्ड को मुफ्त का पैसा (फ्री मनी) न समझें।

उपाय 05: ऐसा कुछ न करें जिससे कि आपको कर्ज लेना पड़े। अपनी जीवनशैली में बदलाव लाएँ, ताकि आप अधिक बचत कर पाएँ।

उपाय 06: क्रेडिट कार्ड की बजाय डेबिट कार्ड का उपयोग करें। ऐसा करने से आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने से बचे रहेंगे।

उपाय 07: अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें, अपनी हैसियत के मुताबिक ही चीजें खरीदें।

अध्याय 9 - विभिन्न बचत और निवेश विकल्पों के लिए सरकार की योजनाएँ

क. सरकारी योजनाएँ



भारत सरकार जनता से लिखतों (इन्स्ट्रुमेंट) के माध्यम से जमा स्वीकार करती है, जिनमें से कुछ कर बचत लिखत हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, डाकघर बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धि जमा, पीपीएफ, आदि। इन लिखतों की अवधि निर्धारित होती है और इन पर मिलने वाले ब्याज की दरें भी निर्धारित होती हैं।

हाल ही में चल रही योजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:

योजनाएँ और उनकी विशेषता
<p>सुकन्या समृद्धि योजना</p> <ul style="list-style-type: none"> • उद्देश्य: बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना • खाता कौन खोल सकता है: एक बालिका की ओर से कोई नैसर्गिक या कानूनी अभिभावक, जहाँ बालिका की आयु 10 वर्ष या उससे कम हो • अधिकतम खातों की संख्या: दो बालिकाओं तक, या तीन बालिकाओं तक यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वां बालिकाओं का जन्म हुआ हो, या पहले बच्चे के जन्म के समय ही तीन बालिकाओं का जन्म हुआ हो • कर कटौती: जैसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत लागू हो • निर्धारित समय से पहले बंद किया जाना: जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर, जैसे जानलेवा बीमारियों में इलाज करवाने के लिए और केंद्र सरकार द्वारा जिसकी अनुमति आदेश के माध्यम से दी गई हो • अनियमित भुगतान / खाते को फिर से चालू करना: जुर्माना भरे जाने के बाद • पैसे जमा कराने का तरीका: नकद / चेक / मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) / डिजीटल भुगतान • निकासी: 18 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और विवाह के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते में पड़ी शेष राशि का एक निर्धारित हिस्सा।
<p>प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)</p> <ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरू की गई, ताकि भारत में बैंक खाता न रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय समावेशन में शामिल किया जा सके। • सभी को किरायेदार तरीके से विभिन्न वित्तीय सेवाओं (जैसे बैंकिंग, बचत और जमा खाते, धन-प्रेषण, ऋण सेवा (क्रेडिट), बीमा और पेंशन) तक पहुँच प्रदान करने के लिए। • खाते किसी भी बैंक शाखा या कारोबार प्रतिनिधि (बैंक मिल) के पास खोले जा सकते हैं। • उद्देश्य: <ul style="list-style-type: none"> - शून्य शेष खाता (जीरो बैलेंस अकाउंट) - रुपये डेबिट कार्ड - दुर्घटना बीमा कवर और लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर निश्चित राशि का जीवन कवर (कुछ राशि के भुगतान के बाद) (शर्तें लागू)। - एक निश्चित राशि तक ओवरड्राफ्ट सुविधा। यह सुविधा एक घर में केवल एक खाते के लिए ही उपलब्ध है। - मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से आसानी से अपने खाते में पड़ी शेष राशि देखने और भारत भर में पैसे अंतरित करने की सुविधा। - जमाराशियों पर ब्याज

- खाते में न्यूनतम शेष राशि का होना अनिवार्य नहीं है
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ।
- पेंशन और बीमा उत्पादों तक आसानी से पहुँच
- चेक बुक लेने के लिए, खाताधारक को न्यूनतम शेष संबंधी मानदंडों को पूरा करना होगा ।

- ओवरड्राफ्ट बैंक ग्राहकों के लिए ऐसी सुविधा है, जिसमें वे अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से अल्पावधिक ऋण ले सकते हैं लेकिन इस तरह ऋण लेते समय बैंक और ग्राहक के बीच हुई सहमति के अनुसार ही उन्हें धन-वापसी करनी होती है ।

ख. भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बुनियादी बीमा योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

- 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वाले बैंक खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है ।
- ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से उक्त बीमाधारक व्यक्ति के बैंक खाते से एक निर्धारित वार्षिक प्रीमियम काटा जाता है ।
- व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने का पात्र होगा ।
- इस बीमा में दुर्घटना के कारण हुई स्थायी और आंशिक विकलांगता को भी कवर किया जाता है ।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले बैंक खाताधारकों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है ।
- ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से उक्त बीमाधारक व्यक्ति के बैंक खाते से एक निर्धारित वार्षिक प्रीमियम काटा जाता है ।
- व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने का पात्र होगा ।

3. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - आयुष्मान भारत

- गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और कुछ निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले शहरी श्रमिकों के परिवारों को इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं ।
- परिवार के आकार, आयु या लिंग आदि के संबंध में कोई रोक नहीं है ।
- एसईसीसी (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011) के आँकड़ों (डेटाबेस) के अनुसार, पात्र परिवारों के सभी सदस्य अपने आप ही इस योजना के तहत आ जाते हैं ।
- अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इलाज निःशुल्क किया जाएगा ।
- पॉलिसी के पहले दिन से ही स्वास्थ्य के संबंध में पहले से मौजूद सभी स्थितियाँ शामिल की जाती हैं । पॉलिसी के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले के और उसके बाद के खर्चें शामिल होंगे । आप देश के किसी भी सरकारी या सूची में शामिल निजी अस्पतालों में जा सकते हैं और मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं ।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- फसल बीमा योजना का उद्देश्य नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना है ।
- फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में, किसान को अनुमानित (थ्रेशहोल्ड) उपज और वास्तविक उपज के अंतर के आधार पर भुगतान किया जाएगा । अनुमानित (थ्रेशहोल्ड) उपज की गणना पिछले सात वर्षों की औसत उपज के आधार पर की जाती है और अधिसूचित फसल को हुए नुकसान के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी जाए ।
- यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने संस्थाओं से ऋण लिए हैं ।
- इस योजना के तहत किसानों को कई तरह से होने वाले नुकसानों से सुरक्षा प्रदान की गई है - जैसे सूखा, कम वर्षा होना, बाढ़, जलभराव, कीट और बीमारियाँ, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, तूफान, बवंडर आदि ।
- इस स्कीम के तहत कटाई के बाद के 14 दिनों की अवधि तक होने वाले नुकसान के प्रति सुरक्षा प्रदान की गई है ।

ग. सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य बचत / बीमा स्कीमें

किसान विकास पत्र

- भारतीय डाक की ओर से चलाई जा रही लघु बचत प्रमाणपत्र योजना जिसमें पहले से निर्धारित समयावधि के बाद निवेश को दोगुना किया जाता है ।

- इसका उद्देश्य है - लोगों में दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन लाना ।
- निवेश के लिए न्यूनतम रकम रु.1000/- और रु.100/- के गुणकों में है, कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
- प्रमाणपत्र वयस्क और साथ ही 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग भी खरीद सकते हैं ।
- यह डाकघर से खरीदा जा सकता है ।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम (सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड योजना)

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (स्वर्ण मुद्राकरण योजना) के तहत, भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम शुरू की गई थी । भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से इस योजना को अलग-अलग श्रृंखला (ट्रांच) में लाता है, ताकि इसमें पैसा लगाया जा सके । भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर इस योजना की शर्तें आदि सूचित करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड की दर हर बार घोषित की जाती है ।

- अवधि :- 8 वर्ष
- न्यूनतम निवेश सीमा :- 1 ग्राम सोना
- अधिकतम सीमा :- 4 किलो ग्राम [व्यक्तियों और अविभक्त हिंदू परिवार (एचयूएफ) के लिए], 20 किलो ग्राम [न्यासों (ट्रस्ट) और ऐसी ही एंटीटियों के लिए]

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के इरादे से शुरू की गई है ।

यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसमें अंशदान करना पड़ता है । इस स्कीम में अंशदान करने वाले की उम्र 60 साल होने के बाद उसे हर महीने कम से कम 3000/- रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी / उसके पति को पेंशन की रकम का 50% दिया जाता है ।

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)

- भारत सरकार द्वारा लाई गई कर-मुक्त बचत योजना ।
 - पीपीएफ खाता या तो किसी डाकघर में या फिर किसी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक में खोला जा सकता है ।
 - संयुक्त खाता नहीं खोला जा सकता और भारत के नागरिक द्वारा केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, जिसमें नामांकन की सुविधा भी दी जाती है ।
 - पीपीएफ खाते में किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेशों के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 80G (80सी) के तहत निर्धारित सीमा तक कटौती का दावा किया जा सकता है ।
 - निवेशक इस स्कीम की अन्य शर्तों के तहत पीपीएफ खाते में किए गए निवेशों की एक निश्चित रकम पर ऋण भी ले सकते हैं ।
- राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)
- यह भारत सरकार की एक पहल है, इसमें मुख्य रूप से आय-कर बचाते हुए निवेश किया जा सकता है ।
 - यह किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है और एनएससी पासबुक के रूप में भी जारी किया जा सकता है ।
 - संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है, और नाबालिग की ओर से वयस्क द्वारा भी खाता खोला जा सकता है ।
 - जमा (डिपॉज़िट) के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 80G (80सी) के तहत कर से छूट ली जा सकती है ।

ग. सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाएँ

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

- एपीवाई एक पेंशन उन्मुख बचत योजना है जो असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है । इस योजना का लाभ सभी बैंक खाताधारक उठा सकते हैं ।
- इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों को पेंशन के रूप में एक निर्धारित राशि प्रदान करना है, जिन्हें दूसरी किन्हीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत शामिल नहीं किया गया है ।
- एपीवाई में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है ।
- आम तौर पर 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, हालाँकि लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर या फिर जानलेवा बीमारी हो जाने पर योजना से बाहर निकला जा सकता है । हालाँकि, लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसका पति या उसकी पत्नी योजना जारी रख सकते हैं ।

घ. उधार से संबंधित सरकारी योजनाएँ

विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक ऋण

- इस योजना का मूल उद्देश्य शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के तरीके को आसान और कारगर बनाना है, ताकि किसी छात्र को पैसे की कमी के कारण अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़नी पड़े।
- पोर्टल का वेब पता है : www.vidyalakshmi.co.in
- छात्रों को बैंकों की शैक्षिक ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है
- शिक्षा के सभी क्षेत्रों से संबंधित शैक्षिक ऋण हेतु केवल एक ही आवेदन फॉर्म है।
- एक ही फॉर्म के जरिए विभिन्न बैंकों में शैक्षिक ऋणों के लिए आवेदन करने का प्रावधान है।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की जानकारी हेतु और उनके लिए आवेदन किए जाने हेतु इस साइट को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जोड़ा गया है।
- छात्र इस वेबसाइट पर उपलब्ध डैशबोर्ड सुविधा के माध्यम से किसी भी समय और किसी भी स्थान से अपने ऋण आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- यह निम्न आय वर्ग (लोअर इनकम ग्रुप) / आर्थिक रूप से कमजोर तबके (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) (ईडब्ल्यूएस / एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (मिडिल इनकम ग्रुप) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) है।
- व्यक्ति इस योजना के जरिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्राप्त करने के तभी पात्र होंगे, जब वे अपना पहला घर खरीद रहे हों या नया घर बना रहे हों।
- यदि परिवार ने पहले कभी किसी भी आवासीय योजना के तहत केंद्रीय सहायता ली हो या भारत में उनके पास पहले से ही एक घर हो, फिर चाहे वह उनके नाम पर हो या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो या उनके पति अथवा पत्नी घर के लिए ब्याज संबद्ध आर्थिक सहायता (सब्सिडी) का दावा कर रहे हों; तो वे इस योजना के तहत आर्थिक सहायता (सब्सिडी) लेने के पात्र नहीं होंगे।
- खरीदी गई संपत्ति योजना के तहत समय-समय पर निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

- इस सरकारी योजना के तहत छोटे और मध्यम उद्यमों के मालिकों या उद्यमियों को व्यावसायिक ऋण प्रदान किया जाता है।
- पीएमएमवाई के तहत दिए जाने वाले ऋण संबंधी योजनाएँ : लिए गए ऋण की राशि के आधार पर - शिशु, किशोर और तरुण।
- पात्रता: उधार लेने वाला निम्नलिखित गैर-कारपोरेट छोटे कारोबार खंड का होना चाहिए : एकल स्वामित्व; भागीदारी फर्म; छोटी विनिर्माण इकाइयाँ; सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ; दुकानदार; फल या सब्जी विक्रेता; ट्रक चलाने वाले (ऑपरेटर); खाद्य सेवा इकाइयाँ; मरम्मत का कार्य करने वाले; मशीन चलाने वाले (ऑपरेटर); छोटे उद्योग; खाद्य प्रसंस्कारक (फूड प्रोसेसर); ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्य उद्योग।
- ऐसे ऋण लेने के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज हैं: पहचान का सबूत, खरीदी गई वस्तुओं का भाव और श्रेणी का प्रमाण-पत्र।

स्टैंड-अप इंडिया

- यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के एससी/एसटी और/या महिला उद्यमियों के वित्तपोषण के लिए है।
- इसका उद्देश्य ऊपर उल्लिखित लक्षित समूहों (टारगेट ग्रुप) को बैंक ऋणों की सुविधा प्रदान करना है।
- इसके तहत ऋण विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) के क्षेत्र में, व्यापार (ट्रेडिंग) के क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से ही मिलता है।

अध्याय 10 - कर बचाने के उपाय

आयकर आपकी आय का वह प्रतिशत है जो आप सरकार को देते हैं ताकि वह अपने कई खर्चों को पूरा कर सके जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास, राज्य या केंद्र सरकारों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, आदि। सभी कर किसी न किसी कानून के अनुसार लगाए जाते हैं और हमारी आय पर कर, आयकर अधिनियम, 1961 (समय-समय पर पारित वित्त अधिनियमों द्वारा यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है।



प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ), व्यक्तियों के संगम (एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स) (एओपी), व्यक्तियों के निकाय (बीओआई), कारपोरेट फर्मों, कंपनियों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सभी कृत्रिम विधिक व्यक्तियों (आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन) जिसे कोई भी आय होती हो उसे आयकर अदा करना होता है।

करों की गणना किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर की जाती है, और आय-कर संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक वार्षिक चक्र (वर्ष) 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। इन कानूनी प्रावधानों के तहत वर्ष को दो वर्गों में बांटा गया है - "पूर्ववर्ती वर्ष" और "निर्धारण वर्ष"। जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है, उसे पूर्ववर्ती वर्ष कहा जाता है तथा जिस वर्ष में आय पर कर लगाया जाता है उसे निर्धारण वर्ष कहा जाता है।

आय-कर अधिनियम के तहत कटौती की अनुमति:

मुख्य विशेषताएँ	
धारा 80सी	<ul style="list-style-type: none"> इसके तहत जीवन बीमा, भविष्य निधि, पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की ईएलएसएस योजनाओं, बैंक की 5 वर्ष की अवधि वाली विशेष जमाओं में किए गए निवेश, एनपीएस खाते में किए गए अंशदान (केवल टियर-1 खाते के लिए), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र में किए गए निवेश, आवास ऋण के मूलधन की चुकौती की रकम, आदि के संबंध में कटौती का दावा किया जा सकता है।
धारा 80सीसीडी(1बी)	<ul style="list-style-type: none"> इसके तहत धारा 80सी के तहत जिन कटौतियों के संबंध में दावे किए जाते हैं उनसे भिन्न कटौतियों का दावा किया जा सकता है। आय-कर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा एनपीएस में किए गए निवेश के संबंध में कर से छूट का दावा किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का जो दावा कर दिया गया हो, उससे अतिरिक्त रकम की कटौती का दावा इस धारा के तहत किया जा सकता है।
धारा 80डी	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्ति स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित माता-पिता और आश्रित बच्चों हेतु लिए गए चिकित्सा बीमा के लिए कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं।
धारा 80जी	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल चिल्ड्रन फाउंडेशन, राष्ट्रीय महत्त्व के विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री राहत कोष, धर्मार्थ संस्थानों आदि को दिया गया दान कर योग्य आय में से घटा दिया जाता है।
धारा 80टीटीए	<ul style="list-style-type: none"> बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगता है। हालाँकि, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर धारा 80टीटीए के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि कटौती के दावे की रकम निर्धारित सीमा के भीतर हो और समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य शर्तों का पालन किया जाए। यह छूट केवल व्यक्ति या एचयूएफ के लिए उपलब्ध है। यह छूट बैंक, डाकघर या सहकारी बैंकों के बचत खाते के मामले में भी लागू है।
धारा 24	<ul style="list-style-type: none"> इसके तहत संपत्ति खरीदने, संपत्ति के निर्माण या संपत्ति की मरम्मत हेतु लिए गए आवास ऋण पर अदा किए गए ब्याज के संबंध में छूट हेतु दावा किया जा सकता है। यह छूट 1 अप्रैल, 1999 के बाद लिए गए आवास ऋणों पर ही मिलता है।

- व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई होती है।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने संबंधी तारीख और आयकर अधिनियम से संबंधित अन्य कटौतियाँ तथा विवरण बदलते रहते हैं; इसलिए, पाठक नियमित रूप से हाल के प्रावधान और दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स) भी देखते रहें।

अध्याय 11- पोंज़ी स्कीमों और अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान

पोंज़ी स्कीम

पोंज़ी स्कीम का नाम चार्ल्स पोंज़ी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस तरह की एक योजना बनाई थी। निश्चित तौर पर पोंज़ी के बदनाम होने से पहले भी लोग इस अवधारणा से भली-भांति परिचित थे। पोंज़ी स्कीम एक धोखाधड़ी या कपटपूर्ण तरीके से किया गया निवेश घोटाला है जिसमें मुनाफों को लेकर निवेशकों से बढ़ाचढ़ाकर वादे किए जाते हैं। असल में इस स्कीम में वास्तविक लाभ कमाने की बजाय पुराने निवेशकों को उनके अपने पैसे या उनके बाद स्कीम में आने वाले निवेशकों द्वारा दिए गए पैसों से ही मुनाफे दिए जाते हैं। किसी पोंज़ी स्कीम द्वारा अपने विज्ञापनों में बताए गए मुनाफे दे पाना तभी संभव होता है जब उसके निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ती जाए।



अक्सर पोंज़ी स्कीम नए निवेशकों को ऐसे मुनाफों की गारंटी देकर लुभाती है, जो दूसरे निवेश नहीं दे सकते, जो कम समय में ही मिल जाते हैं और जो आम तौर पर मिलने वाले मुनाफों से कहीं अधिक होते हैं तथा लगातार मिलते हैं। स्कीम में जैसे-जैसे अधिक निवेशक शामिल होते जाते हैं, अधिकारियों की नज़र में स्कीम के आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि उस समय बचे हुए निवेशकों का पूरा पैसा लेकर स्कीम चलाने वाला (प्रमोटर) गायब हो जाता है। इस तरह की योजनाएँ अपने स्वयं के भार को ही नहीं सह पाती और बंद हो जाती हैं क्योंकि नया निवेश आना कम हो जाता है और स्कीम चलाने वाले (प्रमोटर) को किए गए वादे के मुताबिक मुनाफे देने में दिक्कत आती है।

सिस्टम का ध्वस्त होना तय है क्योंकि कमाई, यदि कोई हो, निवेशकों को अदा किए जाने वाले पैसे से कम है। कभी-कभार, अधिकारियों को किसी स्कीम के बारे में संदेह हो जाता है कि वह पोंज़ी स्कीम है और वे ऐसी स्कीमों के बंद होने से पहले ही उस पर अपना शिकंजा कस देते हैं।

कैसे पहचाने ?

यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको पोंज़ी स्कीम का पता लगाने में मदद करेंगे।

बहुत कम या बिना जोखिम के अधिक मुनाफा:

हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम जरूर होता है। अधिक मुनाफा मिलता है तो जोखिम भी अधिक होता है। किसी भी अधिक मुनाफे वाले गारंटीशुदा निवेश का अवसर मिलने पर सतर्क हो जाएँ।

अत्यधिक मुनाफा:

समय के साथ-साथ निवेशों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। समग्र बाजार की स्थितियों से अछूता रहकर लगातार अधिक मुनाफा देने वाले निवेश पर आँख मूंद कर भरोसा न करें।

अरजिस्ट्रीकृत निवेश:

पोंज़ी स्कीमों में आम तौर पर ऐसी निवेश स्कीम शामिल होती हैं जो विनियमकों या उन गतिविधियों को देखने वाली किसी भी सरकारी एजेंसी से रजिस्ट्रीकृत नहीं होती। रजिस्ट्रीकरण जरूरी होता है क्योंकि इससे निवेशकों को कंपनी के प्रबंधन, उत्पादों, सेवाओं और वित्त के बारे में जानकारी मिलती है।

बिना लाइसेंस वाले विक्रेता:

किसी भी निवेश स्कीम के लिए यह जरूरी है कि वह संबंधित प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत हो और राज्य के प्रतिभूति संबंधी कानूनों के तहत भी यह अनिवार्य है कि निवेश से जुड़े पेशेवर और फर्म लाइसेंस या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करें। अधिकांश पोंज़ी स्कीम बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत फर्म चलाती हैं।


अस्पष्ट प्रकटीकरण:

यदि आपको उनकी बातें समझ नहीं आती या आप उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सकते, तो आप निवेश न करें। खाता विवरण संबंधी लुटियाँ इस बात का संकेत हो सकती हैं कि वादे के अनुरूप पैसों का निवेश नहीं किया जा रहा।

भुगतान मिलने में कठिनाई:

यदि आपको भुगतान नहीं मिलता या पैसे निकालने में कठिनाई आ रही है, तो सावधान हो जाएँ। पोंज़ी स्कीम चलाने वाले (प्रमोटर) कभी-कभी स्कीम के निवेशकों को और अधिक मुनाफों की पेशकश देते हैं, ताकि वे निवेशकों को पैसे निकालने से रोक सकें।

पोंज़ी स्कीमों / पिरामिड स्कीमों का ढाँचा

**धोखाधड़ी से बचाव:**

हाल ही में, भारत में अनेक निवेशकों ने अरजिस्ट्रीकृत एंटिटियों द्वारा चलाई जा रही निवेश स्कीमों के कारण अपने पैसे खो दिए। पश्चिम बंगाल में सारदा चिट फंड घोटाला और सहारा फर्मों द्वारा अवैध रूप से धन जुटाना इसके कुछ उदाहरण हैं। कम समय में अधिक मुनाफों का वादा करके लुभाने वाली फर्जी एजेंसियों से सावधान रहें। आप इस तरह के जोखिमों के बारे में जागरूक होकर अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं।



सलाह#01

ऐसे सौदे के झांसे में न आएं, जिस पर भरोसा करना मुश्किल लगे। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि उत्पाद (प्रोडक्ट) क्या और कैसा है तथा आपके पैसे कैसे निवेश किए जाते हैं, तो ऐसे में पैसे न लगाएँ।

सलाह#02

बढ़िया मुनाफे के लालच में आकर, उन उत्पादों में निवेश न करें जिनकी आपको जानकारी न हो। कंपनी और उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जान लें। आप जिन उत्पादों में निवेश कर रहे हैं, उनके संबंध में अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझ लें।

अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान रहें

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 के तहत निवेश सलाहकारों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है। "निवेश सलाहकार" का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के लिए, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को निवेश सलाह देने के कामकाज में लगा हो, और जिसमें वह व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं को निवेश सलाहकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के रूप में प्रकट करता है।

इस विनियम का उद्देश्य "निवेश सलाह" को विनियमित करना है, जिसका अर्थ है - ग्राहक के फायदे के लिए प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या निवेश उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में निवेश करने, को खरीदने, बेचने या में अन्यथा व्यवहार करने संबंधी सलाह, और निवेश पोर्टफोलियो जिसमें प्रतिभूतियाँ या निवेश उत्पाद शामिल हों, संबंधी सलाह, चाहे लिखित हो, मौखिक हो या संचार के किसी भी अन्य साधन के माध्यम से हो, और जिसमें वित्तीय योजना (फाइनेंशियल प्लानिंग) शामिल होगी : परंतु ग्राहकों से प्रतिफल (कन्सिडरेशन) लिए बिना ही, समाचारपत्र, पत्रिकाओं, किसी इलैक्ट्रॉनिक या प्रसारण या दूरसंचार माध्यम के जरिये, दी गई निवेश सलाह, जो व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध हो, इन विनियमों के

प्रयोजन के लिए निवेश सलाह नहीं मानी जाएगी। निवेश सलाहकारों से यह अपेक्षित है कि सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करें और आचार संहिता का पालन करें।

सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना ही निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करना गैर-कानूनी है। सेबी इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने की दिशा में प्रयासरत है। कुछ बेईमान और समुचित जानकारी न रखने वाली एंटीटियों खुद को रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाती और/या आचार संहिता का पालन नहीं करती। निवेश सलाहकारों को सिर्फ सलाह देने का ही कार्य करना चाहिए और नकदी या प्रतिभूतियों के प्रबंधन जैसे कार्यों से दूर ही रहना चाहिए।

निवेश सलाहकार (आईए) के रूप में कार्य करने वाली रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत एंटीटियों द्वारा किए जाने वाले कुछ गलत काम (अनाचार), (जो सेबी को सूचित किए गए हैं) इस प्रकार हैं: -

- निवेश सलाहकारों द्वारा ग्राहकों को निश्चित मुनाफों की पेशकश करना।
- आकर्षक मुनाफों का झूठा वादा करके ग्राहक से बहुत अधिक फीस वसूलना।
- अधिक फीस वसूल करने के लिए ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में न रखते हुए निवेश सलाहकारों द्वारा गलत-विक्रय (मिस-सेलिंग)। नुकसान हो जाने पर ग्राहक की ओर से फीस वापस करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर, निवेश सलाहकार द्वारा इस वादे के साथ ग्राहकों को अधिक जोखिम वाले उत्पादों की पेशकश कि वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे।
- ग्राहकों की ओर से व्यापार (ट्रेडिंग)।
- ग्राहक की प्रोफाइल के साथ मेल न खाते हुए और ग्राहक की सहमति के बिना ही, ग्राहक को अधिक जोखिमयुक्त उत्पादों वाली सेवा देना।
- निवेश सलाहकार की खराब सेवा की वजह से ग्राहकों को पैसों का नुकसान।
- धन-वापसी (रिफंड) किए जाने से संबंधित मुद्दे।

निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे जागरूक बनें और बाजार में हो रहे उपर्युक्त गलत कामों से अपने आप को बचा कर रखें तथा पूँजी बाजारों में विशेषज्ञता का दावा करने वाली एंटीटियों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। निवेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 (इनमें अंतिम संशोधन 3 जुलाई, 2020 को हुआ था) के तहत रजिस्ट्रीकृत एंटीटियों से ही निवेश के संबंध में सलाह लें।

ऐसी एंटीटियों की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (<https://www.sebi.gov.in>) पर उपलब्ध है।

निवेश सलाहकारों (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स) के साथ व्यवहार करते समय क्या करें और क्या न करें

क्या करें	क्या न करें
हमेशा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों के साथ ही व्यवहार करें।	अरजिस्ट्रीकृत एंटीटियों के साथ व्यवहार न करें।
पहले यह देख लें कि निवेश सलाहकार के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) संख्या है या नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत सभी निवेश सलाहकारों की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (https://www.sebi.gov.in) पर दी हुई है।	निवेश सलाह की आड़ में किसी स्टॉक के बारे में दी गई टिप के झाँसे में न आएं।
यह सुनिश्चित कर लें कि निवेश सलाहकार के पास जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, वह वैध हो।	निवेश सलाहकार को अपना पैसा निवेश करने के लिए न दें।

अपने निवेश सलाहकार को केवल सलाहकार फीस (एडवाइज़री फीस) अदा करें ।	यदि निवेश सलाहकार निश्चित मुनाफों की बात करे, तो उसके झाँसे में न आएँ ।
सलाहकार फीस केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही अदा करें और वे रसीदें संभाल कर रखें जिन पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों तथा जिन पर आपके द्वारा किए गए भुगतानों के विवरण दिए हुए हों ।	निवेश के संबंध में सोच-समझकर लिए जाने वाले फैसलों पर लालच को हावी न होने दें ।
निवेश की कोई सलाह मानने से पहले अपनी जोखिम प्रोफाइल (अर्थात् आप कितना जोखिम उठा सकते हैं) के बारे में अवश्य जान लें ।	लुभावने विज्ञापनों या बाजार की अफवाहों के झाँसे में न आएँ ।
इस बात पर जोर दें कि निवेश सलाहकार कोई भी सलाह केवल आपके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ही दे और ऐसा करते समय निवेश के अन्य विकल्पों को भी ध्यान में रखे ।	केवल किसी निवेश सलाहकार या उसके प्रतिनिधियों की ओर से आए फोन कॉल या प्राप्त संदेशों (मैसेजों) के आधार पर लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने से बचें ।
सलाह पर अमल करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से सभी जरूरी प्रश्न पूछ लें और अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लें ।	केवल इस आधार पर निर्णय न लें कि निवेश सलाहकारों की ओर से बार-बार मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और बार-बार कॉल आ रहे हैं ।
निवेश करने से पहले, निवेश से जुड़े जोखिम और मुनाफे के साथ-साथ उसकी अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का भी आकलन कर लें ।	यदि निवेश सलाहकार आपको यह कहकर उकसायें कि जो ऑफर चल रहा है वह कुछ समय के लिए ही है या आपको अन्य प्रलोभन दें या फिर उपहारों की पेशकश आदि करें, तो ऐसे में आप उनके झाँसे में न आएँ ।
इस बात पर जोर दें कि शर्तें आदि लिखित रूप में हों, उन पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों और मुहर लगी हुई हो । किसी भी निवेश सलाहकार के साथ व्यवहार करने से पहले इन शर्तों आदि को ध्यान से पढ़ लें, खासकर ऐसी शर्तों को जो सलाहकार फीस (एडवाइज़री फीस), सलाहकार योजनाओं (एडवाइज़री प्लान), सलाह की श्रेणी आदि से संबंधित हों ।	ऐसे निवेश करने में जल्दबाजी न करें जो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता से और आपके निवेश के लक्ष्यों से मेल न खाते हों ।
अपने लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करते समय सतर्क रहें ।	
अपनी शंकाएँ दूर करने के लिए / शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करें । यदि कोई निवेश सलाहकार निश्चित मुनाफों का प्रस्ताव कर रहा हो या मुनाफों की गारंटी दे रहा हो, तो इसकी सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को दें ।	

अध्याय 12 - शिकायत निवारण व्यवस्था

क. स्कोर्स (सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक वेब-आधारीय केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की हुई है जिसे 'स्कोर्स' के नाम से जाना जाता है। स्कोर्स का उद्देश्य ऐसे असंतुष्ट निवेशकों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है जिनकी प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित शिकायतों का निवारण संबंधित सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी या रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) से सीधे संपर्क किए जाने पर नहीं हुआ। जब भी किसी एंटीटी के सामने कोई समस्या आए, तो उसे पहले अपनी शिकायत कंपनी, एक्सचेंज या दलाल के पास ही दर्ज करानी होगी। यदि वह किए गए निवारण से संतुष्ट न हो या उसे उस संबंधित कंपनी, एक्सचेंज या दलाल (ब्रोकर) की ओर से कोई जवाब आदि न मिले जिसके यहाँ उसने शिकायत दर्ज कराई हो, तो वह सीधे स्कोर्स पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करने के लिए, आप या तो स्कोर्स के वेबसाइट (<http://scores.gov.in>) पर जा सकते हैं या फिर स्कोर्स का मोबाइल ऐप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिस घटना के संबंध में शिकायत की जानी है, उस घटना के घटित होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर निवेशक स्कोर्स पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि निवेशक निर्धारित समय में शिकायत दर्ज नहीं कर पाता, तो वह सीधे संबंधित एंटीटी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है या फिर उपयुक्त न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आपको स्कोर्स पर पंजीकृत होना पड़ेगा। यदि आपके पास पहले से ही उपयोगकर्ता का नाम (यूजर नेम) और पासवर्ड हो, तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए इस पर क्लिक करें: "शिकायत दर्ज करने के लिए पंजीकरण / लॉग इन करें" ("Register/ login to lodge complaints")। यदि आप स्कोर्स का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हों, तो आप "अभी तक पंजीकरण नहीं किया है?" ("Not Registered yet?") शीर्षक के तहत "पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें" ("Register Here") पर क्लिक करें और अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर डालें। फिर, आप इन विकल्पों में से किसी एक श्रेणी का चयन करें: सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियाँ / रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट); दलाल (ब्रोकर) / स्टॉक एक्सचेंज; निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) / निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी); पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड); अन्य संस्थाएँ और सेबी की जानकारी के लिए। अब आप इस चुनी गई श्रेणी में अपनी शिकायत से संबंधित विवरण दर्ज करें। सभी शीर्षकों में जानकारी डालने के बाद, आप उसकी पुष्टि करें और अपनी शिकायत दर्ज करें।

उसके बाद सेबी में आपकी शिकायत की जाँच-पड़ताल की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शिकायत का विषय सेबी के दायरे में आता है। यदि वह सेबी के दायरे में आता है, तो संबंधित एंटीटी को वह शिकायत अग्रेषित कर दी जाती है, जिसे 30 दिनों के भीतर निवेशक को लिखित में जवाब देना होता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

सहायक दस्तावेज:

शिकायत से संबंधित दस्तावेजों (2 एमबी तक के) को पीडीएफ रूप में संलग्न किया जा सकता है। यदि प्रत्येक श्रेणी हेतु अपलोड किया जाने वाला डेटा 2 एमबी से अधिक का हो, तो उसे डाक द्वारा सेबी के किसी भी कार्यालय में भेजा जा सकता है।

पंजीकरण संख्या:

शिकायत दर्ज करने पर, एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या दी जाएगी, जिसका उपयोग भविष्य में पताचार करते समय किया जा सकता है। शिकायत पंजीकरण फॉर्म में दी गई ई-मेल आईडी पर ई-मेल के जरिए भी इस शिकायत पंजीकरण संख्या संबंधी एक ई-मेल भेजा जाएगा।


शिकायत की स्थिति देखें:

आप अपने खाते में लॉग-इन करके अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।

सेबी को भेजी गई कागज़ी शिकायतों के मामले में, सेबी की ओर से आपके पास भेजे गए पावती पत्र में दिया गया पासवर्ड दर्ज करें और उसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।


स्कोर्स का उपयोग करने से पहले, आपको उस व्यक्ति या कंपनी से संपर्क करने का प्रयास करना चाहिए जिसके संबंध में आपकी शिकायत है। स्कोर्स पर शिकायत दर्ज करके अपनी शिकायत के जवाब की प्रतीक्षा करने की बजाय इस प्रकार सीधे संपर्क करने से हो सकता है कि आपकी समस्या का निवारण जल्दी हो जाए।

ऐसे मामले जिन्हें स्कोर्स में शिकायत नहीं माना जाता



सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लिकेशन

निवेशक शिकायतें



स्कोर्स
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
की शिकायत निवारण प्रणाली
अपनी शिकायतें ऑन-लाइन दर्ज करें

शिकायत दर्ज करें
अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजें
शिकायत की स्थिति देखें
निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) 1800 266 7575



सेबी ने स्कोर्स मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, ताकि निवेशक अपने मोबाइल फोन के जरिए सुविधाजनक तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कर पाएँ। यह ऐप इंटरनेट के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने हेतु पहले से मौजूद स्कोर्स प्रणाली की तर्ज पर ही बनाया गया है। निवेशकों को पहले खुद को इस ऐप पर रजिस्टर करना होगा और फिर उसके बाद जब-जब वे कोई शिकायत दर्ज करेंगे, तब-तब उन्हें उस शिकायत की प्राप्ति-सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए और ई-मेल के जरिए मिल जाएगी। निवेशक अपनी शिकायतों केवल दर्ज ही नहीं कर सकते, बल्कि अपनी शिकायतों के निवारण की स्थिति भी देख सकते हैं। निवेशक अपनी लंबित शिकायतों के संबंध में अनुस्मारक (रिमाइंडर) भी भेज सकते हैं। शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्कोर्स से संबंधित 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) भी देखे जा सकते हैं। निवेशक किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण / सहायता के लिए इस ऐप से ही सेबी की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

“सेबी स्कोर्स” मोबाइल ऐप आईओएस (iOS) और ऐंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

ख. सेबी हेल्पलाइन - निवेशकों के लिए निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस)

प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) से संबंधित मामलों के संबंध में आम जनता के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, सेबी ने एक

नई पहल करते हुए निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस) संख्या 1800 266 7575 या 1800 22 7575 शुरू की है ।

पूरे भारत के निवेशकों के लिए निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस) 8 भाषाओं में उपलब्ध है । यह निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन सर्विस) हर रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपलब्ध रहती है ।

निवेशक निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

निवेशक निःशुल्क दूरभाष (टोल-फ्री हेल्पलाइन) नंबर पर निम्नलिखित सेवाओं के लिए / प्रश्नों आदि का उत्तर पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं :

- कंपनियों की स्थिति के संबंध में - कि वे असूचीगत (अनलिस्टिड) हैं, रुग्ण (सिक) हैं, असूचीबद्ध (डीलिस्टिड) हैं, उनका समापन (लिक्विडेशन) / परिसमापन (वाइंड-अप) हो गया है, आदि ।
- समामेलन (अमैलगमेशन) / विलय (मर्जर) / अविलयन (डीमर्जर) आदि के कारण कंपनियों के नाम में परिवर्तन के संबंध में ।
- किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) के बारे में जानने के लिए ।
- सेबी से रजिस्ट्रीकृत विभिन्न मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के नाम और पतों से संबंधित जानकारी के लिए ।
- सेबी द्वारा की गई विनियामक कार्रवाई की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
- लाभांश, बोनस, साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) आदि जैसी कंपनी कार्रवाई (कारपोरेट एक्शन) की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?
- पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) स्कीम का नवीनतम शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) (एनएवी) कैसे पता करें?
- सेबी के पास शिकायत कैसे दर्ज कराएँ?
- स्कोर्स में किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें?
- सेबी के पास दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति जानने के लिए ।
- विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रार, शासकीय समापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) आदि के नाम और पते जानने के लिए ।
- जो शिकायतें सेबी के दायरे में नहीं आतीं, उन शिकायतों के निवारण के लिए निवेशक को किन विनियामकों (रेग्यूलटर) / प्राधिकरणों से संपर्क करना है जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, और कारपोरेट कार्य मंत्रालय ।


इन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए, अर्थात्:

- डीमैट खाता / ग्राहक खाता आदि कैसे खोलें ?
- शेयरों का अंतरण (ट्रांसफर) कैसे करें ?
- शेयरों का पारेषण (ट्रांसमिशन) कैसे करें ?
- शेयरों के अंतरण / पारेषण के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं ?
- शेयर खो जाने पर क्या करें / शेयर जाली/नकली होने पर क्या करें ?
- शेयरों की दूसरी प्रति (डुप्लिकेट) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
- आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में आवेदन कैसे करें ?
- उन कंपनियों के नाम और पते, जिन्होंने सेबी के पास अपने प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए हैं ।


दूरभाष (हेल्पलाइन) सेवा के माध्यम से निवेशकों को कोई कानूनी राय या निवेश सलाह नहीं दी जाती है ।

किसी भी प्रकार के प्रश्न / प्रतिक्रिया या सहायता के लिए, आप 022-26449188 / 26449199 / 40459188 / 40459199 पर भी संपर्क कर सकते हैं या sebi@sebi.gov.in पर ई-मेल भेज सकते हैं ।


ग. प्रतिभूति बाजार (सिक्कुरिटीज़ मार्केट) से संबंधित शिकायतों का निवारण




बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित शिकायतें या धोखाधड़ी



ड. बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का निवारण



पेंशन क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का निवारण



अध्याय 13 - शिकायत का निवारण करने वाली एजेंसियाँ

क्र. सं.	क्रियाकलाप का प्रकार (रजिस्ट्रीकृत है या अरजिस्ट्रीकृत)	संबंधित विनियामक / प्राधिकरण
1.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाएँ (डिपॉज़िट) जुटाना	भारतीय रिज़र्व बैंक
2.	निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी (म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी)	भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	जौहरियों (ज्वैलर्स) द्वारा चलाई जाने वाली स्वर्ण बचत (गोल्ड सेविंग) स्कीम	कारपोरेट कार्य मंत्रालय / भारतीय रिज़र्व बैंक
4.	कंपनी अधिनियम की धारा 73 के तहत कंपनियों द्वारा जमाएँ (डिपॉज़िट) स्वीकार करना	कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)
5.	सहकारी (कोऑपरेटिव) सोसाइटियों द्वारा चलाई जा रही स्कीमें	राज्य सरकार
6.	चिट फंड कारोबार	राज्य सरकार
7.	बहुस्तरीय (मल्टी-लेवल) मार्केटिंग / पिरामिड मार्केटिंग स्कीमें	राज्य सरकार
8.	बीमा की संविदा (कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इश्योरेन्स)	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)
9.	यूनिट लिंक्ड बीमा योजना	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)
10.	पेंशन स्कीम या ईपीएफ के तहत बीमा स्कीम	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) या,
11.	नई पेंशन प्रणाली	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)
12.	आवास वित्त संस्थाएँ	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
13.	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किसी कंपनी, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी), आदि के खिलाफ शिकायतें	राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड www.SCORES.gov.in सेबी की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) 1800 266 7575 या 1800 22 7575

अध्याय 14 - सेबी के बारे में



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में संसद द्वारा की गई थी, ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जा सके और भारत के प्रतिभूति (सिक्यूरिटीज़) बाजार का विनियमन और उसका विकास किया जा सके। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया, तत्पश्चात् सेबी ने वर्ष 1988 से अपना कार्य शुरू किया। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के मुख्य कार्य हैं: भारतीय प्रतिभूति बाजार का विकास करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विभिन्न मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) का विनियमन करना और निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है और इसके प्रादेशिक कार्यालय दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई और अहमदाबाद में हैं तथा विभिन्न राज्यों में इसके स्थानीय कार्यालय भी हैं।

शेयरों का क्रय-विक्रय स्टॉक एक्सचेंजों में स्टॉक दलालों (स्टॉक ब्रोकर्स) के माध्यम से किया जाता है। प्रतिभूति बाजार के ये मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हो जाने के बाद ही अपना कार्य कर सकते हैं। इन मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) से यह अपेक्षा होती है कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निवेशकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) का पालन करें। इसी प्रकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) पूँजी बाजार के दूसरे सहभागियों जैसे स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों (ब्रोकर्स), निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़), निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स), पोर्टफोलियो प्रबंधकों (पोर्टफोलियो मैनेजर्स), मर्चेन्ट बैंककारों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं (शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) आदि को भी विनियमित (रेग्युलेट) करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के कार्यों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) का वेबसाइट (www.sebi.gov.in) देखें।

पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स) विभिन्न निवेशकों से पैसे एकत्र करती हैं और फिर निवेशकों की पसंद के अनुसार विभिन्न स्कीमों में उस पैसे का निवेश करती हैं। पारस्परिक निधियों का भी विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किया जाता है। पारस्परिक निधियों को स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि वे पैसे का निवेश कहाँ करेंगी, निवेशकों से कितना शुल्क लिया जाता है, आदि। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार उन्हें समय-समय पर प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने पड़ते हैं, ताकि निवेशक उसका लाभ उठा सके।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) निवेशकों को शिक्षित भी करता है और उनकी शिकायतों के निवारण में मदद भी करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के कार्यों तथा अन्य जानकारी के लिए कृपया सेबी का वेबसाइट (www.sebi.gov.in) देखें।

अध्याय 15 - भारत में सेबी के कार्यालयों, एक्सचेंजों और निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) के संपर्क संबंधी ब्यौरे सेबी का प्रधान कार्यालय सेबी भवन

प्लॉट सं., सी4 - ए, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

*दूरभाष: +91-22-26449000 / 40459000 *फैक्स: +91-22-26449019-22 / 40459019-22

*ई-मेल : sebi@sebi.gov.in

आई.वी.आर.एस. प्रणाली:

*दूरभाष सं.: +91-22-26449950 / 40459950

नि:शुल्क निवेशक सहायता सेवा: 1800 22 7575, 18002667575

सेबी के प्रादेशिक कार्यालय	
(उत्तरी क्षेत्र) उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय:	(दक्षिणी क्षेत्र) दक्षिणी प्रादेशिक कार्यालय:
एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ऑफिस टावर-1, आठवीं मंज़िल, प्लेट-बी, पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 दूरभाष सं. (बोर्ड): +91-11-23724001-05 फैक्स सं.: +91-11-23724006 ई-मेल: sebinro@sebi.gov.in	प्रादेशिक निदेशक, ओवरसीज टॉवर्स, सातवीं मंज़िल, 756-एल, अन्ना सालै, चेन्नई: 600002 दूरभाष सं.: +91-44- 28880222 / 28526686 फैक्स सं.: +91-44 -28880333 ई-मेल: sebisro@sebi.gov.in
(पूर्वी क्षेत्र) पूर्वी प्रादेशिक कार्यालय :	(पश्चिमी क्षेत्र) पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय:
प्रादेशिक निदेशक, एल एंड टी चैम्बर्स, तीसरी मंज़िल, 16 कामक स्ट्रीट, कोलकाता - 700017 दूरभाष सं.: +91-33-23023000 फैक्स सं.: +91-33-22874307 ई-मेल: sebieiro@sebi.gov.in	सेबी भवन, पश्चिमी प्रादेशिक कार्यालय, पंचवटी, पहली गली, गुलबाई टेकरा रोड, अहमदाबाद - 380 006 गुजरात दूरभाष सं. (बोर्ड): 079-26583633-35 फैक्स सं.: 079-26583632 ई-मेल: sebiwro@sebi.gov.in

* भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के स्थानीय कार्यालयों के संपर्क संबंधी ब्यौरों के लिए कृपया सेबी का वेबसाइट (www.sebi.gov.in) देखें ।

भारत में स्टॉक एक्सचेंजों और कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों के संपर्क संबंधी ब्यौरे :

स्टॉक एक्सचेंजों के संपर्क संबंधी ब्यौरे	
बीएसई लि.:	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई):
फिरोज जीजाभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 दूरभाष सं.: (022) 22721233/4, 66545695 फैक्स सं.: (022) 22721919 ई-मेल: corp.comm@bseindia.com वेबसाइट: www.bseindia.com	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 दूरभाष सं.: (022) 26598100 / 8114 फैक्स सं.: (022) 26598120 वेबसाइट: https://www.nseindia.com/

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमएसईआई):

विबग्योर टावर्स, चौथी मंज़िल,
प्लॉट सं. सी 62, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई - 400098
दूरभाष सं.: (022) 61129000
फैक्स सं.: (022) 26544000
वेबसाइट: www.msei.in

कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों के संपर्क संबंधी ब्यौरे

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स):
<p>एक्सचेंज स्केयर, सुरेन रोड, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093, भारत दूरभाष सं.: (022) 67318888/ 66494000 फैक्स सं.: (022) 6649 4151 ई-मेल: info@mcxindia.com वेबसाइट: www.mcxindia.com</p>	<p>आकृति कारपोरेट पार्क, पहली मंज़िल, जी.ई. गार्डन के पास, एलबीएस मार्ग, कांजुरमार्ग (पश्चिम), मुंबई - 400078 दूरभाष सं.: (022) 66406789 फैक्स सं.: (022) 66406899 ई-मेल: askus@ncdex.com वेबसाइट: www.ncdex.com</p>

*एक्सचेंजों के निवेशक सेवा केंद्रों के संपर्क संबंधी ब्यौरों के लिए कृपया उनसे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट देखें ।

भारत में निक्षेपागारों के संपर्क संबंधी ब्यौरे

निक्षेपागारों के संपर्क संबंधी ब्यौरे	
नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल):	सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल):
<p>ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी मंज़िल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 दूरभाष सं.: (022) 2499 4200 ई-मेल: info@nsdl.co.in वेबसाइट: www.nsdl.co.in</p>	<p>रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : मैराथन फ्यूचरेक्स, ए - विंग, पच्चीसवीं मंज़िल, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013 दूरभाष सं.: (022) 23058640/8624/8639/8642 /8663 ई-मेल: helpdesk@cdslindia.com वेबसाइट: www.cdslindia.com</p>

*निक्षेपागारों के संपर्क संबंधी ब्यौरों के लिए कृपया उनसे संबंधित आधिकारिक वेबसाइट देखें ।

प्रतिक्रिया फॉर्म

कार्यशाला की तारीख : ____/____/____ समय : _____ स्थान : _____

कार्यशाला पूरी होने के बाद सहभागी इस फॉर्म को अवश्य भरें ।

तारीख :

1. सहभागी का नाम :
2. उम्र :
3. क्या इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने पैसों के प्रबंधन के संबंध में आपका ज्ञान बढ़ा है ?
हाँ / नहीं / शायद
4. क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपनी निवेश नीति में बदलाव करना चाहेंगे ?
हाँ / नहीं / संभवतः
5. क्या आप ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जोखिम लेंगे ?
हाँ / नहीं / शायद
6. क्या जोखिम प्रबंधन करने के लिए आप अलग-अलग जगह निवेश कर रहे हैं ?
हाँ / नहीं / शायद
7. क्या आप पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) की यूनिटें खरीदेंगे ?
पहले से ही खरीदी हुई हैं / शायद / हाँ / नहीं
8. क्या आप अपने निवेश पर लगातार नज़र रखेंगे ?
हाँ / नहीं
9. सेवानिवृत्ति के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए आपकी क्या योजना है ?

[जानकार व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन) द्वारा भरा जाना है]

जानकार व्यक्ति का नाम :

कार्यशाला की मंजूरी दिए जाने संबंधी पत्र आदि की संदर्भ सं. :



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India